द्वितीय माला, खण्ड १—अंक ७

१७ मई, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

39 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या* १०६ से ११४, ११६ से १२०, १२३ से १२७ और १२६ से १३३ . . . . . ३४७—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५, १२२, १२८ और १३४ से १३८ . . ३६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ६० . . . . ३७२—७६

जानकारी के हेतु प्रश्न ३७६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७-७८

सभा का कार्य ३७८-७६

समितियों के लिये निर्वाचन ३७६-८०

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ३७६

दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट ३७६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट . . . ३८०

विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) . . . ३८०

उपाध्यक्ष का निर्वाचन . . . . . ३८०—८३

मौलाना आजाद ३८०-८१

श्री डांगे ३८१

श्री फ्रेंक ऐन्थनी ३८१

आचार्य कृपालानी ३८१-८२

श्री ब्रजराज सिंह ३८२

अध्यक्ष महोदय ३८२

सरदार हुक्म सिंह ३८३

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३८३-८४

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी विवरण . . . ३८४

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३८४—६१, ४०४

पंडित गो० ब० पन्त . . . . . ३८५—६१

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) विधेयक . . . ३६२—४०४

विचार करने का प्रस्ताव ३६२

---

*किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[कृपया बाकी मैटर कवर के पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ मई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भदोरिया (इटावा)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्रीलंका में भारतीय

†*१०९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका की नागरिकता के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) अब तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जा चुके हैं, और कितने नामंजूर कर दिये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) १९५६ के बाद के महीनों में श्रीलंका की नागरिकता के लिये अर्जियां निबटाने की रफ़्तार काफी बढ़ी है और यह उम्मीद की जाती है कि इस साल अगस्त तक श्रीलंका सरकार यह काम पूरा कर लेगी ।

(ख) ताजे आंकड़ों के मुताबिक अब तक ६५,४८२ लोगों से संबंध रखने वाली १७,६५२ अर्जियां मंजूर कर ली गई हैं । और ५,५०,४९५ लोगों से संबंध रखने वाली १,६९,९८४ अर्जियां रद्द कर दी गई हैं ।

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में भी ।

†अध्यक्ष महोदय : हां ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **श्रीनारायण दास** : क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को आमंत्रित करते समय इस आशय का संकेत दिया था कि उन की यात्रा के दौरान में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्तियों के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यात्रा का उद्देश्य सुपरिचित है । वह वहां अनुराधापुर उपनगरी का उद्घाटन करने और बुद्ध जयन्ती महोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं न कि नागरिकता के प्रश्न पर चर्चा करने के लिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारतीय उद्भव के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें वहां राज्यविहीन घोषित कर दिया गया है और जो श्रीलंका छोड़ने पर विवश हो कर भारत आ गये हैं और भारत सरकार ने कितने व्यक्तियों को आने की अनुमति दी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : जिन पांच लाख आदमियों के आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं उन के भाग्य का क्या फैसला होगा ? वे हिन्दुस्तान में आयेंगे या सिलोन में रहेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत में लौटने पर उन्हें स्वभावतः यहां स्थान दिया जायेगा क्योंकि उन की स्थिति पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के समान नहीं है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कितने परिवार भारत भेजे गये हैं और उन्हें कहां बसाया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने एक योजना बनाई है जिस के आधार पर भारतीय उद्भव के व्यक्ति श्रीलंका में बने रहेंगे किन्तु उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगे और क्या यह योजना श्रीलंका में भारतीयों द्वारा स्वीकृत कर ली गई है अथवा नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस के लिये भी मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : श्री लंका सरकार द्वारा इन प्रार्थना पत्रों के निबटाने में देरी करने का क्या कारण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : १९५४ के समझौते के अनुसार सब प्रर्थना पत्र १९५६ तक अर्थात् दो वर्षों में निबटा दिये जाने चाहिये थे । किन्तु इस में कुछ कठिनाइयां आ गईं । जैसा मैं ने उत्तर में कहा था अब ये प्रार्थनापत्र अगस्त तक निबटा दिये जायेंगे ।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार ने यह निश्चित कर लिया है कि इन प्रार्थना पत्रों का निबटारा न्यायिक ढंग से किया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्हें विभागीय पद्धति से निबटाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न ।

म ल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस** : हम न तो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और न आप का ध्यान ही आकर्षित कर सके हैं। इस समस्या का दक्षिण के कुछ क्षेत्रों से सम्बन्ध है और हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित न कर सकें तो उन्हें "श्रीमान्" बोलना चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** : मैं ने कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, दूसरा प्रश्न।

†**श्री तंगामणि** : मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में मद्रास के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये क्योंकि श्रीलंका में अधिकांश नागरिक मद्रास राज्य से सम्बन्धित हैं, अर्थात् ये तामिल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर मद्रास के महानुभाव ने यह प्रश्न पहले क्यों नहीं रखा? वह इतनी देर तक क्यों ठहरे कि उत्तर प्रदेश के कोई महानुभाव इस प्रश्न की सूचना देते?

†**श्री तंगामणि** : मैं आप का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिये जाने के लिये आग्रह नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न।

बेरोजगारी

†***११०. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशों के अनुसरण में देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के कार्य में हुई प्रगति का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी उपपत्ति क्या है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मई, १९५५ में आरम्भ की गई नौवीं पारी से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अपने नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार और बेरोजगारी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है। रोजगार विपणि सूचना कार्यक्रम[1] की सहायता से समय-समय पर रोजगार संबंधी स्थिति का अनुमान लगाने की भी योजना है।

योजना आयोग ने योजना की क्रियान्विति संबन्धी रिपोर्ट की सहायता से इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग का रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो रोजगार सम्बन्धी समस्या के प्रादेशिक पहलू के बारे में सरकार का क्या विचार है?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियोजन, अर्थात् नियोजन की स्थिति पर धन विनियोग के प्रभाव, के सम्बन्ध में हमें जानकारी दें और अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में भी इस का उल्लेख करें। इस में से कुछ जानकारी तो प्राप्त हो गई है और शेष यथासमय मिल जायेगी।

---

[1]Employment Market Information Programmes

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या मशीनों का प्रयोग कम कर और जन शक्ति पर अधिक विश्वास करते हुए श्रमकों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई व्यापक योजना तैयार की गई है ?

†**श्री नन्दा** : नियोजन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित विचार किया जाता है और लोगों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

†**श्री वि० राजू** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिये बेरोजगारी प्रतिकर १०० करोड़ रुपये फैलेगा और प्रतिकर की इतनी वृहद् रकम देना उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता के बाहर है ?

†**श्री नन्दा** : बेरोजगारी प्रतिकर १०० करोड़ रुपये हो सकता है ? मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

†**श्री वि० राजू** : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा यह उत्तर उस प्रश्न के सिलसिले में दिया गया था जो मेरे दल ने रखा था कि उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जाये ।

†**श्री नन्दा** : किसी भी समय उत्पन्न होने वाली काल्पनिक स्थिति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**श्री वि० राजू** : क्या उपरोक्त अनुमान सही है ?

†**श्री सुपाकर** : देश में बेरोजगारी की गहनता जानने का सरकार के पास क्या माध्यम है ?

†**श्री नन्दा** : भविष्य में प्रयुक्त किये जाने वाले जानकारी के सूत्र इस उत्तर में प्रकट किये गये हैं । द्वितीय योजना में कुछ जानकारी दी गई है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और अन्य साधनों पर अवलम्बित है ।

†**श्री सुपाकर** : अन्य साधन क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोरे ।

†**श्री गोरे** : शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार कितने कितने हैं ?

†**श्री नन्दा** : इस दिशा में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रंगा ।

†**श्री बीरेन राय** : मैं चार बार खड़ा हो चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री रंगा का नाम पुकार लिया है ।

†**श्री रंगा** : क्या उक्त प्राक्कलन में ग्राम क्षेत्रों के अपर्याप्त रोजगार वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री नन्दा** : जी नहीं, श्रीमान् । अपर्याप्त रोजगार वाले व्यक्तियों के बारे में हमारे पास कोई प्राक्कलन नहीं हैं ।

†**श्री अ० म० थामस** : प्रश्न सामान्य शब्दों में है । क्या शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं ? बजट में बताया गया है कि इस कार्य के लिये देश में केवल १५ छोटे पैमाने के उत्पादन केन्द्र खोले जायेंगे । सरकार किस प्रकार इस समस्या का हल करेगी ?

†**श्री नन्दा** : इन उपायों के अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं । उदाहरणार्थ, पुनर्नवीकरण कार्य शिविर, इन में से एक केरल में आरम्भ किया गया है और दूसरा दिल्ली में । कुछ और केन्द्र भी खोले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह एक दिशा मात्र है। अध्ययन मंडल की और सिफारिशें भी हैं जिन्हें अभी क्रियान्वित करना बाकी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : योजना अवधि में ८० लाख व्यक्तियों को काम दिलाने का योजना आयोग का जो लक्ष्य है उस को ध्यान में रखते हुए क्या द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में १६ लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार का उपबन्ध किया गया है; और यदि नहीं, तो यह अन्तर इतना विशद क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**श्री नन्दा** : मैं अन्तर की बात नहीं जानता हूं। प्रथम वर्ष का प्राक्कलन अभी पूरा नहीं हुआ है।

†**श्री बीरेन राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता नगर के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ४० प्रतिशत से अधिक अशिक्षित व्यस्क व्यक्ति बेरोजगार हैं, क्या कलकत्ता नगर को सम्मिलित करते हुए ग्राम्य क्षेत्रों के अशिक्षित व्यस्कों में बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि मंत्रालय द्वारा रोजगार विपणि और कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न। बेरोजगारी सरीखी समस्या एक प्रश्न के भीतर नहीं निबटाई जा सकती है। मैंने पहले ही दस से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

†*१११. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्धों में ढ़िलाई की है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) आस्ट्रेलिया द्वारा एक वर्ष में आयात किये जाने वाले भारतीय सामान की कुल कीमत कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) लगभग २४ करोड़ रुपये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या अस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल ने जो हाल ही में भारत आया था, आस्ट्रेलिया की ओर से भारत सरकार को दीर्घकालीन ऋण की व्यवहार्यता के बारे में सरकार के साथ बात चीत की थी, यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने इस पहलू पर विचार नहीं किया। वे वस्तुओं के वृद्धिगत आयात और निर्यात का समर्थन कर रहे थे। आशा है कि आस्ट्रेलिया की विनिमय स्थिति में सुधार हो जाने पर उस देश में आयात प्रतिबन्धों में कुछ ढ़िलाई हो सकती है।

†**श्रीमती तारकश्वरी सिन्हा** : क्या इस देश में आने वाले आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल ने सामान ले जाने के लिये भारत-आस्ट्रेलिया मार्ग पर अधिक जहाजों के उपबन्ध का सरकार को आश्वासन दिया है ?

मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : यह उत्कंठा मात्र है । किसी ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया । वे इस प्रकार के आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया में आयात पर परिमाण सम्बन्धी नियंत्रण के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिश व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत से मंगाने के बाद अपना समान भेजते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक मुझे स्मरण है, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। किन्तु यह सच है कि परिमाण सम्बन्धी नियंत्रण से आस्ट्रेलिया में निर्यात करने वाली सभी व्यक्तियों को हानि हुई ।

†**श्री केशव** : व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री हार्ले ने लौटने पर आस्ट्रेलिया में एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने भारत में ३० लाख पौंड के मूल्य के सामान का आर्डर लिया है । क्या यह एक पक्षीय सौदा है? अथवा क्या ऐसा कोई समझोता है कि आस्ट्रेलिया भी इतना हो अथवा इस से अधिक मूल्य का सामान खरीदे ।

†**श्री कानूनगो** : मैं इस वक्तवय से भिज्ञ नहीं हूं । किन्तु यह विशुद्ध व्यापार प्रतिनिधि मंडल था । उन्हों ने भारत के व्यापारियों और सरकार से भी बातचीत की थी । किन्तु सरकारी स्तर पर कोई करार नहीं हुआ है ।

†**श्री टांटिया** : क्या आस्ट्रेलिया में भेजे गये भारतीय पटसन के बारे में गम्भीर शिकायतें की गई हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इस प्रकार की किसी शिकायत के बारे में जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या उक्त प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के साथ बहुत कम कीमत पर घरेलू उद्योग के स्तर पर सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा की थी, और यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†*११२. **श्री राधा रमण :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के नाम जहां पानी, बिजली, स्वच्छता आदि नागरिक सुविधायें उपलब्ध हैं और जहां अभी इनका उपबन्ध नहीं किया गया है; और

(ख) इन बस्तियों में ये नागरिक सुविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख) लोक सभा के पटल पर विवरण क और ख रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

†**श्री राधा रमण** : इन बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाने में विलम्ब को देखते हुए क्या सरकार ने इन बस्तियों में कम से कम पानी तथा बिजली की व्यवस्था के लिये कोई अन्तिरिम प्रबन्ध किया है ?

मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : सूची से यह स्पष्ट होगा कि कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहां बिजली तथा पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो चुकी है। अन्य बस्तियों के सम्बन्ध में मैं ने इन सेवाओं के पूरा होने के लिये अपेक्षित अवधि बता दी है। विवरणों में सभी बातें दी हुई हैं।

†**श्री राधा रमण** : विवरण में कहा गया है कि कुछ अत्यावश्यक सुविधायें विस्थापित व्यक्तियों को १९५८ के अन्त तक प्राप्य कर दी जायेंगी, मेरे विचार में माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में कम से कम बिजली तथा साफ किये हुए पानी की व्यवस्था के लिये कुछ प्रबन्धों की आवश्यकता है और इन के बिना वे नहीं रह सकते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अन्तरिम प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना**: जब इन बस्तियों को स्थापित किया गया था तो प्रारम्भ में हम ने इन में से अधिक में हाथ के पम्प लगाये थे। पीने के पानी के लिये तो प्रबन्ध वहां है। अब इन हाथ के पम्पों के स्थान पर क्रमशः नल के पानी की व्यवस्था की जा रही है। यह पहली बात है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, हम इन बस्तियों में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। इस में बाधा यह उत्पन्न होती है कि हम तो चाहते हैं कि इन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था की जाये, परन्तु जब खर्च का समय आता है तो कोई भी खर्च नहीं देना चाहता है; और स्थानीय निकाय नियमित रूप में हम इन अत्यावश्यक सेवाओं का कार्य अपने हाथ में लेने के खिलाफ हैं।

†**श्री राधा रमण** : इन में से कुछ बस्तियों में जो कि कुछ दूरी पर स्थित हैं, मार्गों पर रोशनी और बिजली न होने के कारण क्या मैं जान सकता हूं कि उन क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से किया जा सकता है।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या सरकार ने दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में सार्वजनिक नल बन्द करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु मैं इस का उत्तर देना चाहूंगा।

हम ने कुछ बस्तियों में पानी की व्यवस्था की है; और सामान्य प्रबन्ध यह था कि विस्थापित व्यक्तियों को संबंधित स्थानीय निकायों को खर्च देना चाहिये। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये गये पानी के लिये इन बस्तियों की ओर से हम ने राजकीय सहायता के रूप में लगभग १४ लाख रुपये खर्च किये हैं। अब हम ने उन्हें बता दिया है और उन्हें तीन या चार महीने की सूचना भी दे चुके हैं कि वे स्वयं अपना प्रबन्ध कर सकते हैं क्योंकि सरकार, अनिश्चित अवधि के लिये इस अतिरिक्त भार को उठाने के लिये तैयार नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि भारत; विशेषतया दिल्ली आने वाले विदेशीय अतिथियों को केवल उन्हीं बस्तियों में ले जाया जाता है जहां बिजली लगी हुई है और सभी सुविधाओं की व्यवस्था है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : सभा में जिन सुविधाओं के प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया था उन की व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रगति की है ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं कह नहीं सकता कि माननीय सदस्य किस आश्वासन की ओर निर्देश कर रहे हैं, परन्तु मैं ने विवरण 'क' में बताया है कि पानी, बिजली, नालियों आदि की व्यवस्था करने का काम पूरा हो चुका है। मैं ने वह अन्तिम अवधि भी बताई है कि जब कि अन्य बस्तियों में काम पूरा कर लिया जायेगा। इसलिये यदि कोई आश्वासन दिया गया था तो हम उसे कार्यान्वित करने और शीघ्रता से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि यही मेरी इच्छा भी है ।

गांधी समाधि

†*११३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी समाधि के निर्माण के लिये रूपांकन के चुनाव के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: निर्धारकों का बोर्ड इस मास की १४ तारीख से रुपांकनों की जांच कर रहा है। बोर्ड की भी शिफारिशं प्राप्त होने पर सरकार द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह मामला बोर्ड के सामने कितने समय से है और निर्णय करने में उसे कितना समय लगेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जेसा कि मैं ने कहा है, निर्धारकों का बोर्ड प्रस्तुत योजनाओं पर विचार कर रहा है और हमें इस सप्ताह में उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है।

†**सरदार इकबाल सिंह**: गांधी जी की समाधि के रुपांकन के चुनाव में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ? इस मामले पर कई बोर्ड और कई समितियां विचार कर चुकी हैं परन्तु नौ वर्षों में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा**: क्या मैं वही उत्तर दोहरा दूं जो १४ नवम्बर, १९५६ को निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने दिया था ? उन्होंने कहा था :

> "समाधि का स्वरूप कैसा होना चाहिये अर्थात् क्या इस का कोई पूर्णरूप होना चाहिये भी या नहीं, इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा है। घूम फिर कर यही राय बनी रही है कि मामूली फेर बदल के साथ इसे इसी रूप में रहने दिया जाये और कोई प्रमुख स्मारक वहां निर्मित न किया जाये। इर्द गिर्द भी इमारतों के अभिन्यास में एक संग्राहलय को स्थान दिया जा सकता है परन्तु मैं निश्चित रूप से कोई वचन नहीं दे सकता क्योंकि हम ने कुछ रूपांकन आमंत्रित किये हैं; हम उन पर विचार करेंगे और यदि उन में से कोई उपयुक्त हुआ तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे ।"

खान संबंधी औद्योगिक समिति

†*११४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य खानों के सम्बन्ध में औद्योगिक समिति स्थापित करने के लिये व्यक्तियों का अब निर्णय कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त समिति की बैठक कब बुलाने की संभावना है; और

(ग) उस बैठक में किस प्रकार के विषयों पर विचार किया जायेगा?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग). समिति गठित किये जाने के बाद ही बैठक की ता ीख और कार्यवलि का निर्णय किया जायगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि यद्यपि हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पिछले ३५ वर्षों से सदस्य हैं तथापि कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य खानों से संबंधित औद्योगिक समिति की बैठक एक बार भी नहीं बुलाई गई है ?

†श्री आबिद अली : यहां ३५ वर्षों की अवधि का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह विचार १९४७ में ही सामने आया था। उस के बाद से स्वयं हमारे पास समिति के सामने रखने के लिये कोई कार्यवलि नहीं थी और न तो मजदूरों ने और न ही मालिकों ने उस की मांग की थी।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों या अन्य किसी ने इस की मांग नहीं की है। मैं स्वयं इस बात के लि उन्हें पत्र लिख चुका हूं। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिजों के विकास को जो महत्व दिया गया है उसे देखते हुए क्या सरकार का शीघ्र ही बैठक बुलाने का विचार है ?

†श्री आबिद अली: माननीय सदस्य ने इस मामले की ओर यहां प्रश्न काल में निर्देश किया था परन्तु मुझे याद नहीं है कि इस सम्बन्ध में मुझे उन से या श्रमिकों के किसी अन्य प्रतिनिधि से ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ हो जिस में समिति में विचार कि जा के सम्बन्ध में उस के सामने रखने के लिये किसी विशिष्ट मद का सुझाव दिया गया हो। प्रश्न का अन्य भाग अप्रासंगिक है।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बैठक बुला ी जानी चाहिये तो हम उन के सुझाव का स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि बैठक बुलाई जाये।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्योंकि यह मामला दस वर्ष से खटाई में प ा है इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक समिति गठित की जाये ी ?

†श्री आबिद अली : समिति के बा े में कुछ सोचा नहीं गया है। यह मैं पहिले ही कह चुका हूं।

†श्री ब० स० मूर्ति : इसे कब नियुक्त किया जा गा ?

†श्री नन्दा : से शीघ्र ही गठित किया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*११६. श्री साधन गुप्त: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जिन कर्मचारियों पर लागू होती है उन के लिये प्रथक अस्पतालों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई मतभेद उत्पन्न हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय क्या हुआ है ?

†उप श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कर्मचारी राष्ट्र बीमा योजना जिन कर्मचारियों पर लागू होती है उन के लिये अलग हस्पताल बनाने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मतभेद पैदा हो गया है और विशेषरूप से मतभेद यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस बिल पर अलग हस्पताल बनाने के विरुद्ध है कि इस प्रकार के हस्पतालों में जिन व्यक्तियों का बीमा किया गया होगा उन कर्मचारियों के लिये उपचार का कहीं अच्छा प्रबन्ध होगा और परिणामस्वरूप इस से जनता के कुछ ऐसे वर्गों में असंतोष उत्पन्न होगा जिन्हें वैसी सुविधायें नहीं मिल सकेंगी ? यदि हां, तो क्या इन समाचारों का खन्डन किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है मेरा मतलब है कि हो सकता है प्रकाशित हुआ हो परन्तु मैंने नहीं देखा है। जहां तक प्रश्न के पिछले भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिये स्वतंत्र हस्पतालों के निर्माण की अपेक्षा कारखानों तथा उनके रहने की जगहों के नजदीक हस्पतालों में स्थान सुरक्षित करने को वरीयता दी थी।

†**श्री साधन गुप्त** : इस मतभेद के सम्बन्ध में—राज्य सरकार स्थान सुरक्षित रखने को वरीयता देती है और राज्य बीमा निगम पृथक हस्पतालों को वरीयता देता है—क्या दोनों के बीच समस्या का कोई समाधान ढूँढ़ लिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : राज्य सरकार के साथ मामले पर विचार किया जा रहा है और बंगाल सरकार तथा अन्य सरकारों से भी सलाह करके इस मामले को निबटाने के लिये निगम द्वारा एक समिति भी नियुक्त की गई है।

†**श्री तंगामणि** : विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले लोगों से क्या हस्पताल सम्बन्धी सुविधायों के लिए कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंशदान में कमी करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं समझा नहीं हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतया सभी कर्मचारियों से और विशिष्टरूप से पश्चिमी बंगाल के राज्य बीमा निगम से नहीं।

†**श्री तंगामणि** : पश्चिमी बंगाल से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल कार्मिक संघ कांग्रेस ने हस्पताल सम्बन्धी सुविधायों के अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारा सम्बन्ध राज्य बीमा निगम से है।

†**श्री तंगामणि** : मैं राज्य बीमा निगम की ओर ही निर्देश कर रहा हूं। कर्मचारियों से भी अंशदान लिया जाता है। क्या पश्चिमी बंगाल कार्मिक संघ संस्थाओं से या अखिल भारतीय कार्मिक संघ संस्थाओं से कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंशदान में कमी करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री आबिद अली : जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे और इस पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारियों का अंशदान भी प्राप्त होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†*११७. **श्री ह० चं० माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में कितने व्यापार प्रतिनिधि मंडल इस देश में आए हैं ;

(ख) क्या सरकारी स्तर पर कोई क़रार हुआ है ;

(ग) व्यापार बढ़ाने के लिए मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(घ) क्या १९५७-५८ में सरकार का किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(घ) जी, हां । जर्मनी के संघानीय गणराज्य में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव है ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : क्या विदेशी मुद्रा तथा आस्थगित शोधन के प्रश्नों पर भी विचार किया गया था ; और यदि हां, तो जिन देशों के साथ हमने करार किए हैं उन में से प्रत्येक के साथ बातचीत का क्या परिणाम था ?

†**श्री कानूनगो** : केवल तीन देशों से करार हो पाए थे और आस्थगित शोधन का प्रश्न विचारधीन नहीं था ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : जिन तीन देशों से क़रार हुए हैं उनके नाम क्या हैं और क़रार क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वे देश हैं, पाकिस्तान, स्वीडन और मिस्र ; और मेरे विचार में करार सभा के समक्ष रखे जा चुके हैं ।

†**श्री रंगा** : यहां सामान्य प्रथा क्या है; इस देश में जब विदेशों से प्रतिनिधि मंडल आते हैं तो उन से भेंट करने के लिए भारतीय व्यापार के प्रतिनिधियों की सहायता करने के सम्बन्ध में क्या सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : व्यापारिक संस्थाओं और वाणिज्य मंडलों तथा अन्य संस्थाओं से उनकी भेंट कराने का हम सदैव प्रयत्न करते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी जर्मनी में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने का उनका प्रस्ताव है । क्या यह प्रतिनिधि मंडल पश्चिमी जर्मनी से बातचीत करने के लिए कोई निश्चित योजना ले कर जा रहा है या वह केवल व्यापारिक सम्बन्ध के लिए ही जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : भारत के वाणिज्य मंडल के संघान द्वारा प्रतिनिधि मंडल की व्यवस्था की जा रही है और भारत सरकार इसे भेज रही है । यह मुख्यतः समन्वयी स्वरूप का होगा ; और वे अन्य देशों के साथ-साथ जहां भी उन्हें आमंत्रित किया जाय, पश्चिमी जर्मनी भी जायेंगे ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : उत्तर में प्रगणित किन सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री कानूनगो**: धन की उपलब्धि के अधीन रहते हुए विभिन्न देशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजन की बात सदैव विचाराधीन रहती है ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : यदि आप भाग (ग) के उत्तर को देखें तो उस में कहा गया है कि न प्रतिनिधि मंडलों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन में से किन सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया है और इन्हें वह किस प्रकार कार्यान्वित करना चाहती है ?

†**श्री कानूनगो** : भाग (ग) में कहा गया है कि इन शिष्टमंडली के साथ इन सुझावों पर चर्चा की गई थी। यह सुझाव व्यापार करने वाले दोनों पक्षों में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने, वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करने और विज्ञापनों तथा प्रदर्शनियों द्वारा भारतीय वस्तुओं का प्रचार आदि में सुविधा देने के लिये हैं। इस विषय में जो कुछ सम्भव है कर रहे हैं।

गोआ में भारतीय राजनैतिक कैदी

*११८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय गोआ जेल में कितने राजनैतिक कैदी हैं और कितने, यदि कोई हों तो, जेल में ही मर गये ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : गोआ की जेलों में इस समय कितने राजनैतिक कैदी हैं, इसकी निश्चित सूचना नहीं है। अनुमान है कि कम से कम तीन सौ राजनैतिक कैदी वहां जेल में हैं। इनमें से सात भारतीय राजनैतिक कैदी हैं।

भारत सरकार इस बात की सूचना नहीं दे सकती कि गोआ की जेलों में कितने राजनैतिक कैदियों की मृत्यु हुई है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा निवेदन है कि इसे अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उनके लिये जेल में खाने का क्या इंतजाम है यानी खाने को क्या क्या दिया जाता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वही खाना जो साधारणत: लोगों को जेलों में मिलता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मिस्री दूतावास के प्रथम सचिव ने जिसे गोआ में हमारे हितों का ध्यान रखने का काम सौंपा गया है, इसकी पूछ-ताछ की है और क्या उसने इस बारे में कुछ कहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मिस्री दूतावास के प्रथम सचिव गोआ गये और उन्हों ने सात नाम बताये और दो भारतीय राष्ट्रजनों के नाम उसमें और बढ़ा दिये गये थे ! उन्हों ने गोआ की जेलों की हालत के बारे में भी जानकारी दी। उनके वहां जाने के पश्चात हालत काफी सुधर गई है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार को विदित है कि कुछ संसद् सदस्यों को, जैसे कि श्री त्रि० कु० चौधरी और श्री गोरे, रिहा कर दिया गया था। गोआ में शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों का एक यह दल था। मैं शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों के दूसरे दल के बारे में जानना चाहता हूं जो १९५४ में

---

†भूल अंग्रेजी में

मजाली से गोआ में दाखिल हुआ और जिसमें टोनी डी सूज़ा जैसे व्यक्ति थे जिन्हें ८० वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था । क्या उन्हें रिहा किया जायेगा। उनका क्या हुआ ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** ३४ भारतीय राष्ट्रजनों को, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य किया, सर्वक्षमा के परिणामस्वरूप रिहा कर दिया गया है। लगभग ९ मामलों में पुर्तगाल सरकार उनके पहचान पत्रों से संतुष्ट नहीं है और मेरा विचार है कि राष्ट्रीयता के प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर उन्हें भी रिहा कर दिया जायेगा ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या श्रीमती सुधाबाई जोशी का नाम उस सूची में है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मिस्री दूतावास के प्रथम सचिव की दी गई ९ सदस्यों की सूची में यह नाम हैं ।

†**श्री गोरे :** क्या श्री रानादे का नाम उसमें है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हां, श्रीमान्। उन्हें गोआ में हिंसात्मक गतिविधियों के कारण २६ वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है और यही एक अपवाद का मामला है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के लिये व्यय

†***११९. श्री अ० म० थामस :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित केरल राज्य के लिये व्यय निश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि निश्चित की गई है ; और

(ग) व्यय निश्चित करते समय किन सिद्धान्तों को सामने रखा गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) ८७ करोड़ रुपये ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय निश्चित करने के सिद्धान्त योजना के विभिन्न अध्यायों, विशेषकर अध्याय १ से ४ में, बताये गये हैं ।

जहां तक दोनों राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मद्रास और केरल में समायोजन का सम्बन्ध है, वह दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों में परस्पर बातचीत के बाद तय हो गया था ।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या ८७ करोड़ रुपये की यह राशि अस्थायी तौर पर रखी गई है ? और क्या मद्रास योजना के लिये इसमें से कुछ राशि ली गई है ?

†**श्री नन्दा :** आंकड़े सम्बन्धित राज्यों द्वारा समायोजन पर सहमति प्रकट करने के बाद यह हैं। मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन के आंकड़े यह हैं :

त्रावनकोर-कोचीन के लिये मूल योजना . .	७१.९५ करोड़ रुपये
कुछ प्रदेश मद्रास में मिला देने पर जो कमी की गई . . .	३.९० करोड़ रुपये
विभाज्य योजनाओं के लिये मालाबार ज़िले के लिये जो राशि बढ़ाई गई .	१६.९५ करोड़ रुपये
अविभाज्य योजनाओं के लिये तदर्थ अतिरिक्त आवंटन . . .	२ करोड़ रुपये
कुल परिणाम . . .	८७.०० करोड़ रुपये

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० म० थामस :** ५ प्रतिशत निकाल देने पर ही यह राशि ७१.९५ करोड़ रुपये रह जाती है। मालाबार जिले की जनसंख्या के आधार पर केरल को अधिक धन मिलना चाहिये था। इतनी कम राशि क्यों रखी गई है ?

†**श्री नन्दा :** दोनों राज्यों में एक तदर्थ समझौते के आधार पर यह हुआ है।

†**श्री पुन्नूस :** समाचार पत्रों में कहा गया है कि केरल के मंत्री इस पर केन्द्रीय सरकार से चर्चा करने के लिये आये हुए हैं। क्या आवंटन को बढ़ाने अथवा बांट का विभिन्न शीर्षों के अधीन पुनः वितरण करने के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

†**श्री नन्दा :** प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात केरल के मुख्य मंत्री मुझसे मिलने वाले हैं। वह अन्य मंत्रियों और योजना आयोग के सदस्यों से मिल चुके हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई बात होगी तो वित्त मंत्री सभा को बता देंगे।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** ऐसे मामले में एकाएक कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केरल को दी गई वर्तमान राशि योजना के अन्तर्गत बनाई गई बांट की योजना में बिल्कुल ठीक बैठती है और यदि उसमें कोई परिवर्तन किया जाना है तो (क) हमें संसाधन ढूंढने चाहियें, और (ख) योजना आयोग को कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर फिर से बांट करनी होगी। इस मामले को फिर से उठाया जा सकता है। केरल सरकार के प्रतिनिधि जून में शायद वापस आ जायेंगे। उस समय योजना आयोग से इस विषय में बात चीत कर सकते हैं। योजना आयोग को वे इसके क्या आधार बतायेंगे, और योजना आयोग का क्या दृष्टिकोण होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि इसके लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना बहुत कठिन है ! मैं सदस्यों का बहुत आभारी होऊंगा यदि मुझे यह बतायें कि संसाधन कहां से जुटाये जा सकते हैं। उस हालत में मैं योजना आयोग को बता सकूंगा कि वे योजना का विस्तार कर सकते हैं और यह काम योजना आयोग का होगा कि वह अतिरिक्त संसाधनों की बांट जिस दिशा में चाहें कर दें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** इस बात को देखते हुए कि केरल राज्य में शिक्षित बेरोजगारी की प्रतिशतता अधिक है, क्या सरकार बांट पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपने मंत्री को यह सब समझा कर कह सकते हैं कि वह ये मामले उठायें।

नेपाल में कागज और सीमेंट का कारखाना

†*१२०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विशेषज्ञों का एक दल नेपाल में कागज और सीमेंट के कारखाने स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए भारत से नेपाल गया; और

(ख) क्या नेपाल सरकार इन कारखानों की मालिक होगी या कि भारतीय पूंजी लगाने के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां। नेपाल सरकार के कहने पर भारत से भारतीय विशेषज्ञों के दो दल भेजे गये थे; एक कागज का कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये और दूसरा सीमेंट का। ये दल वहां अप्रैल में गये थे। उनके प्रतिवेदन तैयार हो रहे हैं और शीघ्र ही विचार के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बात का निर्णय नेपाल सरकार को करना ह, परन्तु यह विचार था कि कारखानों की मालिक नेपाल सरकार होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस बारे में कोई निर्णय हुआ है कि कारखाना किस स्थान पर खोला जायेगा और क्या सीमेंट और कागज को भारत और सीमावर्ती स्थानों में भेजने की अनुज्ञा दी जायेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह दल केवल इस बात का पता लगाने नेपाल गया था यह कारखाना स्थापित करने स क्या लाभ होगा । अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या इस मामले पर कोई और समझौता हुआ था ।

†**श्री कासलीवाल** : शायद माननीय उपमंत्री को यह विदित है कि भारत नेपाल को लगभग १० करोड़ रुपये ऋण दे रहा है। क्या इस १० करोड़ रुपये में से कुछ राशि इन दो कारखानों पर भी लगाई जायेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस विषय मे मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री भट्टाचार्य** : क्या नेपाल में कागज के उत्पादन की योजना में अखबार के कागज का उत्पादन भी सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे इस बारे में भी जानकारी नहीं है । केवल कागज और सीमेंट के उत्पादन का सुझाव है ।

सूडान व्यापार शिष्टमंडल

†*१२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान व्यापार शिष्टमंडल इसलिये भारत आया है कि वह भारत-सूडान व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सके ;

(ख) यदि हां, तो वह किन किन स्थानों पर गया : और

(ग) उसकी यात्रा से भारत-सूडान व्यापार किस हद तक बढ़ा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) शिष्टमंडल बम्बई, पूना, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, अलीगढ़, कलकत्ता, चित्तरंजन, मद्रास और बंगलौर गया ।

(ग) अभी से उसकी यात्रा के परिणाम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मिशन ने इंडिया गवर्नमेंट को अपनी कोई रिपोर्ट दी है !

श्री कानूनगो : यह तो सूडान गवर्नमेंट व्यापार मंडल था, इंडिया गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने की इस में कोई बात नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह मिशन हिन्दुस्तान और सूडान के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए आया था, इसलिए उसने क्या क्या चीजें लेना पसन्द किया और उसके एवज में हिन्दुस्तान की सरकार क्या क्या देना चाहती है, इस सम्बन्ध में कोई परामर्श हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कानूनगो :** उसने हिन्दुस्तान की सरकार से बात चीत की। उसमें किसी पक्के सौदे का सवाल नहीं था और न सौदा हुआ ही।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** देश में रुई की कमी को देखते हुये क्या सरकार ने रुई के अतिरिक्त आयात की किसी योजना पर इस शिष्टमंडल के साथ बातचीत की; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री कानूनगो :** हम काफी समय से सूडान से रूई का आयात कर रहे हैं। हम ने रूई के आयात की स्थिति पर बातचीत की थी परन्तु सामान्य स्थिति के बारे में मुझे केवल यही कहना ह कि सूडान तथा अन्य देशों से रूई के आयात में बचत करनी पड़ेगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार को विदित है कि स्वयं सरकारी कर्मचारियों ने एक वक्तव्य दिया है कि रूई की कमी बहुत ज्यादा है और हमें आयात पर निर्भर करना पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** रूई की अधिक कमी नहीं है।

अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति

†*१२४. **श्री अ० सिं० सरहदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारत से पुनः प्राप्त की गई अपहृत स्त्रियों की संख्या की तुलना में पाकिस्तान से पुनः प्राप्त की गई स्त्रियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब (पाकिस्तान) के कई जिलों में अपहृत स्त्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिये नहीं जाने दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों से उनकी पुनः प्राप्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) गत एक वर्ष में (१ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक) भारत में ६९३ व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गये। जिन में से ३२९ को पाकिस्तान भेज दिया गया और ३६४ को भारत में ही छोड़ दिया गया। उसी अवधि में पाकिस्तान में २७९ व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गये जिनमें से १५८ भारत लाये गये और १२१ को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया।

(ख) सरकार को विदित नहीं कि पाकिस्तान के किसी जिले में पुनः प्राप्ति का काम न हो सकता हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अ० सिं० सरहदी :** क्या यह सच है कि अपहृत स्त्रियों के उद्धार के मामले में भारत के कर्मचारियों का पाकिस्तान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** केवल आदिम जाति क्षेत्रों के अपहृत व्यक्तियों के मामले में ही कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। अन्यथा जहां तक अन्य जिलों का सम्बन्ध ह, कोई अधिक कठिनाई नहीं है।

†**श्री अ० सिं० सरहदी:** क्या यह सच है कि सियालकोट, जो कश्मीर की सरहद पर हे, उद्धार-कर्मचारियों के लिये बन्द है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे कोई सूचना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** : यदि इसकी सूचना माननीय मंत्री को दी जाये तो क्या सरकार इसके संबंध में जांच करायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वैसा सदा ही किया जाता है ।

†**पंडित ह्रा० ना० तिवारी** : बरामद की गई स्त्रियों म से कुछ स्त्रियाँ पाकिस्तान भेजी गई थीं तथा कुछ अन्य भारत भेजी गई थीं। उन बरामद स्त्रियों की क्या स्थिति है जो या तो पाकिस्तान भेजी गई थी या भारत और भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत भेजी गई थीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्हें वहां भेज दिया गया है जहां वह पहले रहा करती थीं।

सरदार इकबाल सिंह : लाहौर के मागस्थ शिविर में इस समय अपहृत स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : किस वर्ष की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वर्तमान समय की ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रीमान्, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं लाहौर जिले से बरामद व्यक्तियों की संख्या बता सकती हूँ।

ट्रैक्टरों का आयात

†*१२५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे आकार के ट्रैक्टरों के आयात के लिए वर्ष १९५६ में कुल कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन ट्रैक्टरों का कुल मूल्य क्या है जिनके लिए लाइसेंस जारी किये गये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) संभवतः छोटे आकार के ट्रैक्टरों से माननीय सदस्य का तात्पर्य कृषि संबंधी ट्रैक्टरों से है। यदि ऐसा है तो जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या ५४ है ।

(ख) पश्चिमी जर्मनी, इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और चैकोस्लोवाकिया।

(ग) ५१६.५ लाख रुपए।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या ये छोटे आकार के ट्रैक्टर जिनके लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं, प्राप्त हो गए हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, जहां तक मालूम हुआ है, गत वर्ष ५१६ लाख रुपये के ट्रैक्टर प्राप्त हुए थे ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : : क्या सोवियत संघ तथा जापान के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात किये गये ये छोटे ट्रैक्टर अच्छे होंगे क्योंकि सोवियत संघ तथा जापान के छोटे ट्रैक्टर सर्वोत्तम समझे जाते हैं। क्या हम ने उन दोनों देशों से भी ये ट्रैक्टर आयात करने का विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह व्यक्तिगत मत का प्रश्न है। वास्तव में हमारे देश में अभी तक १५ अश्व शक्ति तक के छोटे ट्रैक्टर वर्जित रहे हैं क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की राय में वह इस देश

---

†मूल अंग्रेजी में ।

के लिये बहुत उपयुक्त नहीं हैं। कुछ समय से हम अपने देश में ही छोटे ट्रैक्टर बनाने का विचार कर रहे हैं चूंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय कतिपय कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिये उन के प्रयोग की अनुमति देना चाहता है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†*१२६. **श्री शंकरय्या :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम का कोया पालने वालों को रोगमुक्त रेशम के कोय के बीज (दूसरे बुखार के पश्चात्) का संभरण करने के लिये चक्की प्रणाली की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये देश में कहीं कोई सहकारी समिति चालू की गई है;

(घ) वर्ष १९५५–५६ तथा १९५६–५७ के दौरान में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा इसी काल में कितना व्यय किया गया;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रयोग किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उन का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५२–५३ से ले कर ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में क्रमशः १,०६,६०३ रुपये तथा २७,५५७ रुपये के अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये थे। इसी अवधि में किया गया व्यय लगभग ५२,२०३ रुपये था ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

(च) जहां चक्की पालन प्रणाली अपनाई गई है, वहां औसत उत्पादन २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ गया है ।

†**श्री शंकरय्या :** यद्यपि यह संकल्प १९५२ में पास किया गया था, उस को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य सरकारें उन को दिये गये अनुदानों एवं ऋणों को खर्च नहीं कर सकीं हैं जिस का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी है। कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने मुख्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों के व्यय का ५० प्रतिशत स्वयं वहन करने का प्रस्ताव रखा है और हमें विश्वास है कि इस वर्ष में व्यय आवंटनों के अनुरूप ही होगा।

†**श्री शंकरय्या :** क्या सरकार यह अनिवार्य कर देगी कि समस्त पालने वाले रेशम के कोये के बीजों के संभरणा की चक्की प्रणाली अपनायें ?

†**श्री कानूनगो :** रेशम बोर्ड ने इसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है ।

†**श्री शंकरय्या :** इस प्रणाली को क्रियान्वित करने में कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कानूनगो :** यदि समस्त भारत में वैसा किया जाये तो बहुत बड़ी राशि लगेगी । किसी भी स्थिति में वह इस बात पर निर्भर है कि पालने वाले इस प्रणाली को अधिक पसंद करें ।

†**श्री दासप्पा :** चक्की प्रणाली द्वारा कितने प्रतिशत पालन होता है ?

†**श्री कानूनगो :** वह बहुत कम है ।

†**श्री दासप्पा :** मैं सही सही जानना चाहता हूं ।

†**श्री कानूनगो :** मुझे ठीक प्रतिशत ज्ञात नहीं है ।

बर्रा ढीमा कोयला खान

†*१२७. **श्री बोस :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्रा ढीमा कोयला खान में सितम्बर, १९५६ में हुई बाढ़ दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** (की) जी, हां ।

(ख) और (ग) . लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

†**श्री बोस :** विवरण से ज्ञात होता है कि बाढ़ की घटना के तुरन्त पश्चात् पम्पिग की व्यवस्था नहीं की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण था ?

†**श्री आबिद अली :** मैं ने जांच समिति की मुख्य सिफारिशें विवरण में दे दी हैं । उस ने कार्यवाही का जो भी सुझाव दिया है उसे हम कर रहे हैं ।

†**श्री बोस :** क्या १९ दिन के पश्चात् जो आदमी जीवित निकले और मृत्यु के मुंह से निकल आये उन्हें कम्पनी से समुचित प्रतिकर प्राप्त हो गया है ?

†**श्री आबिद अली :** हमें उन को देय राशियों के भुगतान न किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जांच समिति ने सिफारिश की है कि उद्धार केन्द्र[1] में पम्पिग सेट भी रखा जाना चाहिये । इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री आबिद अली :** विवरण में यह कहा गया है कि खानों के मुख्य निरीक्षक से इन सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैनेजर के विरुद्ध कोई मुकद्दमा चलाया गया है जिसे दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है और क्या वह उस खान का कार्यभार अभी भी संभाले हुए है ?

†**श्री आबिद अली :** विनियम ४८ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । जब तक उसे मुअत्तल नहीं किया जाता वह कानुन के अनुसार खान का कार्यभार संभाले रह सकता है ।

Reserve Station.

मूल अंग्रेजी में

बागान जांच आयोग

†*१२९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बागान जांच आयोग द्वारा कहवा, रबड़ और चाय के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें बताने की कृपा करेंगे जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी:** क्या मैं सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें तथा उन के स्वीकार किये जाने के कारण जान सकता हूं ?

†**श्री कानूनगो** : वे विचाराधीन हूं। प्रतिवेदन के चाय संबंधी अंश पर सरकार का निर्णय कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या आयोग की सिफारिशों के कार्यान्विति के लिये किसी तन्त्र की स्थापना का विचार किया जा रहा है।

†**श्री कानूनगो** : जब सरकार अंतिम रूप से निर्णय कर लेगी तथा वह प्रकाशित हो जायेगा तब हम उस के संबंध में विचार करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कहवा तथा रबड़ पर जांच समिति का प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा तथा कब उपलब्ध हो सकेगा ?

†**श्री कानूनगो** : कठिनाई उन को मुद्रित कराने की है क्योंकि वे बहुत लम्बे हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस प्रतिवेदन पर सरकार कितने समय से विचार कर रही है और वह आयोग की स्वीकृति सिफारिशें कब तक प्रकाशित करने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो**: चाय सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को अप्रैल, १९५६ में प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात् उसे चाय बोर्ड तथा उस के सदस्यों से विचार विमर्श करना पड़ा तथा व्यापारिक एवं अन्य सम्बन्धित हितों के विचार प्राप्त करने पड़े। उससे अन्य मंत्रालयों तथा राज्यों से भी परामर्श करना पड़ा। यह प्रक्रम अब प्रायः पूर्ण हो गया है और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, भारत सरकार का निर्णय शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगा।

†**श्री पलनियाण्डि** : जांच आयोग के प्रतिवेदन में श्रम के सम्बन्ध में क्या निर्देश है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रतिवेदन माननीय सदस्य को दिया जा चुका है।

बालोपयोगी चलचित्र समिति[1]

†१३०. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालोपयोगी चलचित्र समिति द्वारा अभी तक कुल कितने बालोपयोगी चलचित्र बनाये गये हैं तथा वे किस प्रकार के हैं ;

(ख) क्या समिति ने अपने कार्य का कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) सरकार द्वारा समिति को अभी तक कितनी धनराशि दी गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) बालोपयोगी चलचित्र समिति एक रजिस्टर्ड निकाय है और यद्यपि उसे सरकार से अनुमान मिलते हैं वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। समिति ने अभी तक दो रूपक चलचित्र तथा दो रूपान्तर तैयार किये हैं। समिति ने पांच ब्रिटिश बालोपयोगी चलचित्रों व तीन सोवियत बालोपयोगी चलचित्रों को हिन्दी में प्रस्तुत भी किया है। ये समस्त चलचित्र विशेष रूप से बालकों के लिये बनाये गये हैं।

---

[1] Children's Film Society.

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ज्ञात हुआ है कि समिति ने अपने कार्यक्रम में चालू वर्ष के दौरान में दो रूक तथा दो छोटे चलचित्रों का निर्माण सम्मिलित किया है ।

(ग) १९५५–५६ में २,३०,००० रुपये ।

१९५६–५७ में ३,९८,९९९ रुपये, १४ आने, ९ पाई ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इन में से कोई चलचित्र राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोई ख्याति प्राप्त कर सका है ?

†**डा० केसकर** : हमें बालोपयोगी चलचित्र समिति से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह पहली बार में ही ख्याति प्राप्त कर लेगी। उस ने १९५५–५६ से ही चलचित्रों का उत्पादन प्रारम्भ किया है। इस वर्ष उस के एक चलचित्र को राज्य पुरस्कार में योग्यता का प्रमाणपत्र मिला है ।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस समिति को जनता से कोई अंशदान अथवा चन्दा प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो अभी तक समिति को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

†**डा० केसकर** : समिति को जनता से चन्दा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है परन्तु यह पता लगाने के लिये कि उसे अभी तक कितना चन्दा मिला है, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

सेठ अचल सिंह : मुस्तलिफ स्टेट्स (राज्यों) में ये फिल्में दिखाने का प्रबन्ध किस तरह किया गया है ।

डा० केसकर : मैं ने पहले ही कहा है कि चिल्ड्रन्ज फिल्म सोसायटी का काम सरकार से बिल्कुल स्वतन्त्र है और उसकी तफसील के बारे में बताना मेरे लिए मुश्किल है। यह जिम्मेदारी सोसायटी की है कि वह अपनी फिल्मों के डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) का काम सम्भाले ।

†**श्री पलनियाण्डि** : क्या गैर-सरकारी निर्माताओं को बालोपयोगी चलचित्रों का निर्माण करने के लिये कोई सहायता दी जायेगी ।

†**डा० केसकर** : मैं समझता हूं कि समिति मुख्यतः गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता से यह कर रही है ।

राज्य-व्यापार

†*१३१. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को कुछ और वस्तुयें सौंपने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी वस्तुयें हैं तथा उनको राज्य-व्यापार के क्षेत्र में लाने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात करने के प्रश्न पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य व्यापार निगम समुद्र पार के व्यापार में भाग लेने लगा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस नए उपक्रम में क्या अनुभव हुआ है, और विदेशी खरीदार इस सम्बन्ध में कैसा अनुभव कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : अभी तक तो यही अनुभव हुआ है कि यह कार्य अत्यन्त लाभकारी है, और विदेशों के आयात-कर्ताओं ने भी इसे पसन्द किया है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या इस निगम ने रूमानिया सरकार से कोई विशेष करार किया है, और यदि हां, तो वह करार किस प्रकार का है ?

†**श्री कानूनगो** : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री च० द० पाण्डे** : इस्पात और सीमेंट आदि कुछ एक वस्तुओं का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी, जो कि इसी व्यापार पर निर्भर करते थे, अब बेरोजगार हो गये हैं । क्या सरकार उन्हें कोई और काम-काज प्रदान करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं नहीं समझता कि उन में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हुआ है । हां, उन के कार्यों में कुछ अन्तर अवश्य पड़ गया है ।

†**श्री कासलीवाल** : सरकार ने कुछ एक मदों के लिये निर्यात संबर्धन परिषदें स्थापित की हैं । क्या इन निर्यात संवर्धन परिषदों और राज्य व्यापार निगम में सम्पर्क रखने की कोई और प्रस्थापना है ?

†**श्री कानूनगो** : हां इस दृष्टि से कि निर्यात संवर्धन परिषदें मुख्य रूप से संवर्धन कार्य के लिये हैं और यह निगम वास्तव में व्यापार करता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार को छोटे व्यापारियों से और विशेषकर अभ्रक के स्वामियों से इस आशय की कोई शिकायत आई है कि राज्य व्यापार निगम ने उस अभ्रक को लेने से इन्कार कर दिया है और अभी तक इन्कार कर रहा है, जिसे वे पहले निर्यात करते रहे हैं, और इस का परिणाम यह हुआ है कि बिहार और उड़ीसा की छोटी खानों के आस पास के कुछ क्षेत्रों में बहुत सा अभ्रक एकत्रित हो गया है ?

†**श्री कानूनगो**: मैं इसे जानकारी के रूप में लेता हूं और यदि इस के ब्योरे मेरे पास भेजे गये तो मैं इसका उत्तर आवश्य दूंगा ।

हथकरघा उद्योग

†*१३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में हथकरघा उद्योग के लिये वित्त-व्यवस्था करने के लिये १ अक्टूबर १९५६ से ३० अप्रैल, १९५७ तक कौन कौन से उपाय किये गये हैं; और

(ख) उत्पादन कितना बढ़ गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये १ अक्तूबर १९५६ से ३० अप्रैल, १९५७ तक राज्य सरकारों को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कुल ३,२५,७१,९४३ रुपये दिये गये हैं ;

(ख) १९५६ में हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में अनुमानत: ६८० लाख गज की वृद्धि हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह अनुदान किस आधार पर विभिन्न राज्यों में आवंटित किया जाता है और इसमें से कितना अनुदान पंजाब के पुनर्गठित राज्य के लिये दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : उस का आधार यह है कि जो भी राज्य इस धन का अधिक अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकता है उसी को अधिक धन दिया जाता है । पंजाब के लिये कुल ५,३२,९४२ रुपये के अनुदान और ऋण दिये गये हैं ।

†**श्री भट्टाचार्य** : पश्चिमी बंगाल के लिये कितना ऋण और कितने अनुदान दिये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

†**श्री कानूनगो** : यदि आप यह चाहते हैं तो मैं विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रख दूंगा ।

अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†*१३३. **श्री त०ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति के सदस्यों की सूची अन्तिम रुप से तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां तो उसकी बैठक कब बुलायी जायेगी ; और

(ग) उस बैठक में किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग), बैठक की तिथि और उसकी कार्यवलि के बारे में निर्णय समिति बन जाने के बाद ही होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या किसी केन्द्रीय व्यापार संघ को इस आशय के लिये आमन्त्रित किया गया है कि वह ऐसे विषय बताये जिन पर चर्चा की जाये ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं ।

श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या सरकार वैसा करने का विचार रखती है ?

†**श्री आबिद अली** : उन्हें इस बात की स्वतत्रंता है कि वे कार्यावली में सम्मिलित करने के लिये कोई भी विषय भेज सकते हैं, और जब बैठक की तिथि निश्चित हो जायेगी तो हम उन्हें सूझाव देने के लिये आमनित्रत भी करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग

†*११५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इस सिफारिश की कार्यान्विति मुख्य रुप से मालिकों तथा कर्मचारियों में सहयोग तथा प्रेरणा पर निर्भर करती है । सरकार दो प्रकार से सहायता कर सकती है—एक तो , चर्चा गोष्ठियों तथा साहित्य के संभरण के द्वारा वैसा वातावरण उत्पन्न कर के और

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा ऐसे विधान बनाकर जो कि इन परिस्थितियों में उचित हों। मालिकों तथा कर्मचारियों दोनों को तथा सरकार को भी पूरी परी जानकारी देने के लिये १९५६ के अन्त में कुछ एक योरोपीय देशों में एक अध्ययन दल भेजा गया है। इस का प्रतिवेदन अभी छप रहा है और कुछ दिनों में ही संभा-पटल पर रख दिया जायेगा। इस के सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी सत्र में भी विचार किया जायेगा जिस में, मुझे आशा है, समस्त सम्बन्धित दलों की सहमति से ठोस सिफारिशें दी जा सकेंगी।

चर्बी का आयात

†*१२२. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन किन देशों से चर्बी मगायी जा रही है;

(ख) इसके आयात को कम करने के लिये स्थानीय निर्माताओं द्वारा चर्बी के स्थान पर अन्य कौन कौन सी वस्तु प्रयुक्त की जा रही हैं; और

(ग) १९५६-५७ में कुल कितनी चर्बी मंगाई गयी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड।

(ख) मुख्य रुप से देसी चर्बी वनस्पति तेल और वनस्पति चर्बी।

(ग) ८८८१४ हंडरवेट (अप्रैल १९५६ से जनवरी, १९५७)

साबुन का उत्पादन

†*१२८. **श्री झूलन सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघटित क्षेत्र के कारखानों द्वारा उत्पादित साबुन का अनुपात छोटे पैमाने के एककों द्वारा उत्पादित साबुन की तुलना में कैसा है; और

(ख) साबुन के उत्पादन में लगे हुए छोटे एककों को किस प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) बड़े एककों द्वारा किये किया जाने वाला साबुन का वर्तमान वार्षिक उत्पादन १,१०,००० टन है, जबकि छोटे एककों का साबुन उत्पादन अनुमानत: १,२०,००० टन है,।

(ख) साबुन के उत्पादन में लगे हुए छोटे एककों को निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :—

(१) १ अप्रैल, १९५६ से लेकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को या उसके बाद देश में उपयोग के लिये प्रत्येक प्रकार के बनाये गये प्रथम २०० टन साबुन को सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(२) देहाती क्षेत्रों मे साबुन बनाने के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग वित्तीय सहायता दे रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय उद्योग

†*१३४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की प्रेरणा से, हाल ही में चाय उद्योग के वित्त के सम्बन्ध में कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) समस्याओं पर सामान्य रूप से चर्चा हुई और यह निर्णय किया गया कि मामले पर विचार करने के लिये और एक छोटा सा कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) बनाया जाये और सरकार द्वारा विचार करने के लिये प्रस्थापनाएं दी जाय ।

बंगलौर में गंदी बस्तियों की सफाई

†*१३५. **श्री केशव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर निगम ने राज्य सरकार के माध्यम से बंगलौर की गंदी बस्तियों के सुधार और उन्हें साफ़ करने के उद्देश्य से कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) उस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता के रूप में कितनी राशि प्रस्तावित की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क). जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय में मैसूर सरकार के माध्यम से अभी तक बंगलौर नगर निगम द्वारा तैयार की गयी गन्दी बस्तियों के साफ़ करने सुधारने सम्बन्धी १७ योजनाय प्राप्त हुई हैं। उनके ब्यौरे देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) गन्दी बस्तियां साफ़ करना/सुधारणा सम्बन्धी योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रुप में मैसूर सरकार को दी जाने वाली कुल राशि प्रयोगात्मक रुप से ५६ लाख रुपये निर्धारित की गयी है। उसमें से ८.२५ लाख रुपये की राशि १९५७-५८ के वर्ष के लिये मंजूर की गयी है।

छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग

†*१३६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिये आवश्यक प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक आद्यरुप प्रशिक्षण वर्कशाप की स्थापना करने से सम्बन्ध रखने वाली योजना जिस के लिये पश्चिमी जर्मनी के संघीय गणतंत्र के विदेश मंत्री द्वारा वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव किया गया था, के ब्यौरे बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

(ख) किस प्रकार की सहायता के लिये प्रस्ताव किया गय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और पश्चिमी जर्मनी के सरकारी पदाधिकारियों तथा जर्मन विशेषज्ञों से और अधिक चर्चा करके उनके बारे में निर्णय किया जायेगा।

(ख) पश्चिमी जर्मनी को सरकार ने केन्द्र की स्थापना के लिये आवश्यक मशीनों तथा उपकरणों के सम्पूर्णम खर्च को वहन करने और प्रारम्भ में तीन वर्षों तक की अवधि के लिये जर्मनी से शिक्षकों तथा प्रविधिक विशेषज्ञों की सेवामें अपने खर्च पर प्रदान करने क प्रस्ताव किया है।

श्रमजीवी पत्रकारों का मजूरी बोर्ड

†*१३७. **श्री ल० ना० मिश्र :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राधा रमण :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्णयों को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां,

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड का निर्णय ११ मई, १९५७ को भारत के असाधारण सूचना पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था, और उसे अब लागू कर दिया गया है।

ब्रिटिश वस्त्र मिशन

†*१३८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश वस्त्र मिशन ने, जो कि भारत आया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो उसमें क्या कहा गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत सरकार को भारत में आने वाले ब्रिटिश वस्त्र मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विस्थापित व्यक्तियों के सहायता और मार्गस्थ शिविर

†५१. **श्री अ० च० गुह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा, आसाम, बिहार और उड़ीसा में कौन-कौन से और कितने सहायता तथा मार्गस्थ शिविर हैं ;

(ख) उनकी स्थापना कब की गयी;

(ग) उनमें से प्रत्येक में प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितने विस्थापित व्यक्ति रह रहे थे और इस समय कितने हैं;

(घ) क्या इन शिविरों में कुछ काम कराने अथवा प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार का काम अथवा प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना-कितना पारिश्रमिक अथवा भत्ता दिया जाता है और इस प्रकार के कामों में कितने व्यक्ति लगे हैं;

(च) सहायता और प्रशासन पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है और प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के लिये कितने-कितने अनुदान मंजूर किये गये हैं ;

(छ) प्रत्येक वर्ष कुल कितने विस्थापितों को वहां से इधर-उधर भेजा जाता है;

(ज) क्या उनको शीघ्र ही फिर से बसाने की कोई योजना है; और

(झ) प्रत्येक शिविर में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो (१) एक वर्ष से अधिक समय से (२) २ वर्ष से ऊपर से, (३) ३ वर्ष से ऊपर से, (४) ४ वर्ष से ऊपर से और (५) ५ वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (झ). जो जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी वह यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी। परन्तु भाग (ग) से (झ) में मांगी गयी जानकारी इतनी विस्तृत है कि उस के संकलन पर जो समय और श्रम व्यय होगा वह उस से प्राप्त हो सकने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा ।

गंदी बस्तियों की सफाई

†५२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये संघ सरकार ने जो योजना प्रस्थापित की थी, उसे किन-किन राज्यों ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) १९५७–५८ म इस कार्य के लिये केन्द्र ने कुल कितनी राशि मंजूर की है;

(ग) क्या किसी राज्य ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क), (ग) और (घ). गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में संघ सरकार की योजना मई, १९५६ में राज्यों में इस विचार से परिचालित नहीं की गई थी कि उस पर उन की स्पष्ट स्वीकृति मिल जाये, वरन् विचार यह था कि राज्य सरकारें अथवा स्थानीय निकाय गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये जो परियोजनायें बनायें उसमें आम तौर पर उसी के नमूने का अनुकरण करें। सभी राज्यों ने आम तौर पर यही कहा है कि वे उस योजना के सामान्य नमूने का अनुकरण करने को राजी हैं ।

(ख) इस योजना के अधीन १९५७–५८ के लिय वित्तीय सहायता के केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में विभिन्न राज्यों को दिये जाने के लिये अस्थायी तौर पर १ करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पाकिस्तानियों का प्रवेश

५३. { **श्री ह० चं० माथुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के प्रत्येक महीने में ऐसे कितने पाकिस्तानियों ने भारत में प्रवेश किया जिनके पास (१) दृष्टांक थे, (२) दृष्टांक नहीं थे, और (३) जाली दृष्टांक थे; और

(ख) इस सामूहिक आगमन के क्या कारण थे ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारी मशीनों का निर्माण

†५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना के बारे में भारत सरकार को परामर्श देने के लिये सोवियत संघ से परामर्शदाताओं का जो दल भारत आया था, क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) क्या उस पर विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरार जी देसाई)** : (क) और (ख) जी हां ।

खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन.

†५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की खानों के मुख्य निरीक्षक का १९५५ के लिय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है; और

(ख) उसे सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं । यह प्रतिवेदन अभी छप रहा है ।

(ख) मैं कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता हूं परन्तु इस की छपाई में शीघ्रता कराने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है ।

पंजाब में पंचायती रेडियो सेट

†५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में पंजाब राज्य को कुल कितने पंचायती रेडियो सेट दिये गये थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : वर्ष १९५५–५६ में और १९५६–५७ में पंजाब राज्य को दिये गये पंचायती रेडियो सेटों की संख्या क्रमशः २३०० और १००० थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को पार-पत्र

†५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

((क) १९५७ में अब तक कुल कितने व्यक्तियों ने पाकिस्तान जाने के लिये पार-पत्रों के लिये आवेदन किया है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस अवधि में वास्तव में पार-पत्र मिले, और

(ग) इसी अवधि में कुल कितने भारतीयों ने पाकिस्तान की यात्रा की ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में बेरोजगारी

†५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि : बेरोजगारी में कमी करने के लिये पंजाब को कितनी राशि दी गई है, उस राज्य ने जो योजनायें बनायी थीं उन का ब्यौरा क्या है और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में बरोजगारी में कमी करने में कितनी सफलता मिली है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो योनजायें सम्मिलित की गयी थीं उन सभी से रोजगार बढ़ेगा । १९५२ में जो मूल योजना तैयार की गई थी वह २८.३४ करोड़ रुपयों की थी जिस में से २०.२० करोड़ रुपये पंजाब के लिय थे और शेष पैप्सू के लिये थे जो अब पंजाब में ही मिल चुका है। इस के बाद इन दोनों राज्यों की योजनाओं में लगभग ८.८३ करोड़ रुपयों के समायोजन किये गये; पंजाब के लिये ७.८३ करोड़ रुपयों का समायोजन किया गया था और शेष पैप्सू के लिये था । इस समायोजन के अधीन आने वाली योजनाओं का ब्यौरा लोक-सभा को ३-९-१९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के रूप में दे दिया गया था । यह उत्तर दिये जाने के बाद कुछ योजनाओं को कुल मिला कर जिन की लागत लगभग ६ करोड़ रुपये थी और जिन्हें पजाब राज्य की योजना के बाहर कार्यान्वित किया जा रहा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र के भीतर लाया गया । इस के और योजना में और आगे किये गये कुछ समायोजनों के कारण अंत में पंजाब की योजना बढ़ कर ३४.४३ करोड़ रुपयों की हो गयी और पेप्सू की १०.०२ रुपयों की हुई । इस पूरी उपबन्धित राशि में से योजना के प्रथम चार वर्षों में लगभग २७.४ करोड़ रुपयों का वास्तविक व्यय हुआ और यह अनुमान है कि योजना के पांचवे वर्ष में १४.३२ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके होंगे । अभी इस बात का पता लगाना संभव नहीं हुआ है कि एकीकृत पंजाब की रोजगार संबधी स्थिति पर इस सब व्यय का क्या प्रभाव पड़ा है !

निष्क्राम्य सम्पत्ति

†५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ में अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी निष्क्राम्य सम्पत्तियों का नीलाम किया जा चुका है; और

(ख) इस से कितनी रकम वसूल हुई है ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख): प्रत्येक राज्य के बारे में तो अलग अलग जानकारी नहीं मिली है। परन्तु वर्ष १९५७ के बारे में, अर्थात् जनवरी और फरवरी, १९५७ के दो महीनों (इन महीनों तक के ही आंकड़े एकत्र किये गये हैं) के बारे में अलग-अलग क्षेत्रों संबधी जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ३५]**

मैसूर में अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण, योजना

†६०. **श्री तिम्य्या** : क्या निर्माण **आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन अब तक मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गयी है;

(ख) कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) अब तक कितने मकान बन हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :

	मैसूर (कोड़गू सहित) को आवंटित राशि (लाखों में)	दी गई राशि (लाखों में)
	रु०	रु०
१९५४–५५	१०६.००	१०.००
१९५५–५६		३९.२०
१९५६–५७	५४.८०	५४.८०
१९५७–५८	३५.००	अब तक कुछ भी नहीं
कुल जोड़	१९५.८०	१०४.००

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने ३० अप्रैल, १९५७ तक वास्तव में ९८ लाख रुपये व्यय किये थे। उस तिथि तक पूरे हो चुके मकानों की संख्या ४८० थी जब कि—८८० मकान बन रहे थे।

जानकारी के हेतु प्रश्न

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने बम्बई की हड़ताल के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाने के लिये पूर्व सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कल लिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली वे आज ले सकते हैं।

श्री हनुमन्त राव (मेदक)

श्री डिन्डोड (दोहद-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

सभा-पटल पर रखें गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) २७ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३३७।

(ख) २९ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३६३।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस०-४२/५९]

भारतीय विमान नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारतीय विमान निगम १९३७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २० फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७ (२९) की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या—एस०—४३/५७]**

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**श्री आबिद अली** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम १९४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति-सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) २७ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(१५६)। ५०-एमटी एण्ड सीई।

(२) २२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (१५५)। ५६-एमटी एण्ड सीई।

(३) २२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(१८)। ५३—एमटी एण्ड सीई।

(४) १४ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या १२ (१३०)। ५६-एमटी एण्ड सीई।

(५) २२ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० २१ (४१)। ५६-एमटी एंड सीई।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

(६) २३ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ १२(६४)। ५४-एमटी एण्ड सीई ।

(७) २३ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (७२)।५२-एमटी एण्ड सीई ।

(८) १ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(१५४)।५६-एमटी एण्ड सीई ।

(९) ४ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(२५)।५२-एमटी एण्ड सीई ।

(१०) ४ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (३२)।५७-एमटी एण्ड सीई ।

(११) २० अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(३१)।५३-एमटी एण्ड सीई । **[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एस०-४४/५७]**

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५६) ।

(२) ३० अप्रैल, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या १२(४) टी बी। ५६ ।

(३) ३० अप्रैल, १९५७ की सरकारी अधिसूचना संख्या १२ (४) टी बी। ५६ ।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत उपरोक्त (१) और (३) में उल्लिखित दस्तावेजों के उक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एस०-३०/५७]**

(५) कैल्शियम लैक्टेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७)।

(६) ७ मई, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या ३७ (१) टी पी। ५७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस०-३१/५७]

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, मैं २० मई, १९५७ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा करता हूं :—

(१) इन विधेयकों पर विचार होगा तथा इन्हें पारित करने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा :—

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक तथा प्रतिलिप्य अधिकार विधेयक—१९५७—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ।

(२) रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा ।

आप की अनुमति से २२ मई को सांय ५ बजे आणविक विस्फोटो के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा एक संकल्प रखे जाने का भी विचार है। इस पर २।। घण्टे तक चर्चा होगी। इस के लिये सभा को देर तक बैठना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मेरा सूझाव है कि सभा ७.३० तक बैठे ।

समितियों के लिये निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

† **शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० भीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि ८ के खण्ड (१) के उपखण्ड (१८) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, अलीगढ़ मुल्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट

†**शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० भीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि २ के खण्ड (१) के उपखण्ड (१६) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री खुशवक्त राम (खेडी)** : क्या यह नियमित है कि जब मंत्री यहां उपस्थित हों तो उपमंत्री प्रस्ताव पेश करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब दोनों मंत्री एक ही मंत्रालय से हों तब कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। हां किसी दूसरे मंत्रालय का मामला हो तो यदि संबंधित मंत्री उपस्थित हैं तो प्रस्ताव वही प्रस्तुत करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट

†**शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि १४ के खण्ड १ के उपखण्ड (१७) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

विश्वभारती की संसद्

†**शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्व भारती एक्ट १९५१ (१९५१ का एक्ट २९) की धारा १९ की उपधारा (१) के खण्ड (१२) तथा उस के साथ पठित विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की संविधि १० के खण्ड (५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : जनाब, मैं तहरीक करता हूं कि सरदार हुक्म सिंह, जो इस सभा के एक मेम्बर हैं, सभा के डेप्युटी स्पीकर (उपाध्यक्ष) चुने जायें ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । सभा के समक्ष दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि सरदार हुक्म सिंह, जो इस सभा के एक मैम्बर हैं, सभा के उपाध्यक्ष चुने जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव एकमत से पारित हुआ है ।

†**मौलाना आजाद** : जनाब, सभा ने सरदार हुक्म सिंह पर अपने जिस एतकाद का इजहार किया है उस की बड़ी कदर कीमत है और मैं उन को मुबारिक बाद देता हूं । पिछली मरतबा जब यह जगह खाली हुई थी तो हम सब की नजरें इन्तखाब सरदार साहिब पर पड़ी थीं, चुनांचे वह डेप्युटी स्पीकर चुने गये और बहुत जल्द मालूम हो गया कि यह चुनाव कितना मौजूं और मुनासिब था । जो बोझ उनके कन्धों पर डाला गया था उस को उन्होंने निहायत खूबी के साथ अंजाम दिया ।

---

†मूल अंग्रजी में

हमारी पार्लियामेंट इस वक्त अपनी जिन्दगी के इन्तदायी दौर में है। उसके सांचे अभी तक ढले नहीं हैं, ढालने हैं। इस लिये जिन लोगों के हाथ उसकी रहनुमाई की बागडोर है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। उनका यही काम नहीं है कि जो रवायतें या ट्रेडिशन्स कायम हुई हैं उनको जारी रखें। उनका काम यह है कि नई रवायतें पैदा करें। उनका सिर्फ यही काम नहीं कि रवायतों के जो सांचे ढल गये हैं उनको ढालते रहे। उनका काम यह होता है कि नये सांचे ढ़ालें। मुझको यकीन है कि सरदार साहेब के कन्धों पर जो जिम्मेदारी डाली गयी है वह उस को पूरी अहलियत और काबलियत के साथ अंजाम देंगे और उन की शखसियत आयिदां जमाने के लिये एक नमूने का काम देगी।

†**श्री डांगे** (बम्बई नगर मध्य) : मैं सरदार साहेब को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि पहले सरदार साहिब ने निष्पक्ष रूप से काम किया है।

मुझे क्षमा किया जाय यदि मैं ऐसा कहूं कि उपाध्यक्ष को विरोधी दल से लिया जाता तो ज्यादा ठीक था किन्तु हमें फिर भी खुशी है कि सरदार साहिब पहले विरोधी दल के सदस्य थे।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (**नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय**) : मैं सरदार साहिब को उपाध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। जैसा कि श्री डांगे ने कहा यदि हम पहले वाली परम्परा को कायम रखते तो अच्छा था। कम से कम इस का परीक्षण करना जरूरी सा था।

मौलाना आजाद ने भी यह कहा है कि अभी परम्परायें बन रही हैं यह ठीक बात है। इस सभा की अध्यक्षता करने वालों पर ही ये सब बातें निर्भर करती हैं। यह ठीक है कि हमें परम्परायें बनानी हैं किन्तु इन को कायम रखने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इन पदों पर आरूढ़ हों। साथ ही साथ सत्तारूढ़ पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी है, उसे ही यहां की स्वतंत्रता कायम रखनी है। यदि सरकारी दल इस पद पर ऐसा व्यक्ति चुने जिससे उन्हें खतरा न हो तो फिर इस पद का महत्व समाप्त हो जायेगा। खैर मैं यह नहीं चाहता कि इस बात पर हम दलबंदी के हिसाब से सोचें। इन पदों के लिये हमें योग्यतम व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से सरदार हुक्म सिंह उपयुक्ततम व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले सदैव बड़ी नर्मी एवं निष्पक्षता से सभा का कार्य चलाया है।

उनका काम कठिन होगा क्योंकि इस सभा में इस समय सरकारी दल का बहुमत है।

मैं सरदार साहेब को पुनः बधाई देता हूं और आश्वासन दिलाता हूं कि हम लोग उनसे पूरा सहयोग करेंगे।

आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : सदर साहब, मैं सरदार हुक्म सिंह को अपनी तरफ से और अपने ग्रुप की तरफ से बधाई देता हूं। आप हमारे डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) रह चुके हैं, और मैं कह सकता हूं कि जिस खूबी के साथ आपने इस आफिस का काम चलाया है उसको देखते हुए हमें आपसे कोई भी अच्छा आदमी इस जगह के वास्ते नहीं सूझता।

इतना कहने के बाद, मुझे उस बात को भी कहना है जिस की तरफ कि मेरे कम्युनिस्ट भाई ने इशारा किया है। मौलाना आज़ाद साहेब ने कहा है कि खाली इस लोक-सभा का ही आपको काम नहीं चलाना है लेकिन कुछ ऐसी आदतें इस लोक-सभा में डालनी हैं जो हमारे लिये पीछे कारगर हों। तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत कारगर रिवाज था जो पिछली बार स्थापित किया गया था कि कम-अज-कम डिप्टी स्पीकर को विरोधी दलों के आदमियों में से चुना जाए। खैर इस वक्त यह नहीं हुआ और उसका मुझे कोई खास अफसोस नहीं है। लेकिन

---

† मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

मुझे यह कहना पड़ता है कि जो अच्छा रिवाज हम एक दफा डालते हैं अगर उसका सिलसिला हम जारी नहीं रखेंगे तो कोई भी रिवाज यहां कायम नहीं होंगे । आज एक पार्टी (दल) पावर (सत्तारूढ़) में है कल दूसरी आ जाती है तो फिर उन रिवाजों की कोई वक्कत नहीं रहती । इस वास्ते जो रिवाज एक बार कायम हो जाते हैं हमें चाहिये कि हम उन पर अम्ल करते जायें ।

इतना कहने के बाद मैं एक बार फिर सरदार हुक्म सिंह को धन्यवाद देता हूं ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरदार हुक्म सिंह जी को मैं इस सदन का डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर अपनी तरफ से तथा अपने ग्रुप सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं । सरदार साहब के सम्बन्ध में हम नए लोगों ने जो कुछ दूसरों से सुना उसको सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है । कम से कम पहले ही दिन जिस तरह से वह हम लोगों से मिले उससे और भी प्रसन्नता होती है और मुझे पूरा यकीन है कि वह विरोधी दलों के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे ।

जहां तक मुझे मालूम है इस लोक-सभा में भी, पहली लोक-सभा में जितनी विरोधी दलों की ताकत थी, उतनी ही आज भी है । यह बात जोकि कामरेड डांगे ने कही और आचार्य कृपालानी जी ने कही उचित है कि ऐसी वैसी कोई बाधा पैदा नहीं हुई कि उस परम्परा को जो पहले इस सदन में कायम की गई थी कि उपाध्यक्ष विरोधी दलों में से कोई चुना जाता, तोड़ा जाता, और उस पर न चला जाता । सरदार हुक्म सिंह जी के व्यक्तित्व के प्रति बड़ा आदर रखते हुए भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो परम्परा पहले इस सदन में कायम की गई थी उसको तोड़ कर के कम से कम बहुमत दल ने आगे के लिए एक अच्छी परम्परा कायम नहीं की है । फिर भी यदि उस परम्परा का हम आगे से आदर कर सकें तो इस सदन की परम्पराओं और इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक अच्छी बात होगी । मैं आशा करता हूं कि सरदार साहब इस तरफ बैठने वाले सदस्यों का तथा उनके अधिकारों की रक्षा का हमेशा खयाल रखेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं सरदार साहब को एक बार फिर बधाई देता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सरदार जी पुनः सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचित हुए हैं । सभी सदस्यों ने उनके प्रति जो भाव व्यक्त किये हैं, उनके समर्थन के अतिरिक्त मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी प्रसन्नता है । हालांकि उपाध्यक्ष पदस्थ अधिकारी ही होता है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष जितना ही रहता है । इस पद पर पीठासीन होने वाले व्यक्ति को अत्यधिक महत्व के मसलों का निर्णय करना पड़ता है, सभी दलों के बीच संतुलन रखना पड़ता है और बिना कभी क्रोधित हुए नितान्त निष्पक्ष रहना पड़ता है ।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पद के कर्तव्यों को निभाने के लिये सरदार जी बहुत उपयुक्त हैं । पिछली बार उन्होंने सभा के हर दल को खुश रखा था । वे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इसलिये वे न्यायिक कार्यवाही में पहले से ही प्रशिक्षित हैं । साथ ही, वे बहुत ही मिलनसार हैं ।

उपाध्यक्ष के पद के लिये सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर, मैं सरदार जी को एक बार फिर बधाई देता हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे लिये अक्सर सहायक सिद्ध होंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सरदार हुक्म सिंह (भटिण्डा) : मैं इसके प्रस्तावक के साथ ही, इस प्रस्ताव को प्रेरणा देने वाले सरकारी सदस्यों और मेरे प्रति कृपापूर्ण उद्गार प्रकट करने वाले विरोधी दल के सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

सभा में कुछ सदस्यों की भावना यह है कि मुझे पिछली बार विरोधी दल के सदस्य होनेके कारण ही इस पद के लिये निर्वाचित किया गया था, और अब इसलिये मेरे विरोधी दल में न रहने के कारण अब विरोधी दल के किसी अन्य व्यक्ति को ही इस पद के लिये निर्वाचित किया जाना चाहिये था। उनका विचार है कि पिछली बार एक प्रथा बन गई थी कि उपाध्यक्ष विरोधी दल में से ही लिया जायेगा। मुझे तो इससे प्रसन्नता होती, लेकिन सभा के नेता ने उसी समय यह स्पष्टरूप से कह दिया था कि मेरा निर्वाचन किन्हीं दलगत विचारों के आधार पर नहीं हुआ था। इसलिये, उससे प्रथा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस पर अधिक बहस खड़ी करना नहीं चाहता।

सभी सदस्यों ने एक बार फिर मुझे अपने पूर्ण विश्वास के योग्य समझा है, इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन के बाद सभा के नेता ने कहा था कि आपको चुनकर सभा आपके हाथों में अपने को सुरक्षित समझती है, लेकिन मेरे बारे में यही बात लागू नहीं होती। पिछली बार मार्च १९५६ में मुझे जब उपाध्यक्ष पद के लिये चुना गया था, तब मैं इस कार्य में बिलकुल नया ही था। अप्रैल १९४८ में पहली बार संविधान सभा के लिये चुने जाने तक, मुझे संसद् का कोई भी अनुभव नहीं था। अभी भी मुझे इसमें कोई बड़ा अनुभव नहीं है।

उपाध्यक्ष पद पर कार्य करने का भी मेरा अनुभव केवल एक वर्ष का ही है। जब मैं अपने पूर्वाधिकारियों का स्मरण करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिये नितान्त अनुपयुक्त हूं। मुझे सीखना इसी बात पर है कि अध्यक्ष महोदय इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे और मुझे प्रेरणा देते रहेंगे।

इस सभा के सदस्यों की उदारता, लोकतांत्रिकता को सफल बनाने की लगन और सभा की परम्पराओं को सुरक्षित रखने की भावना को देखकर ही, मुझे अपने आप पर विश्वास होता है कि मैं इस उत्तरदायित्व को निभा सकूंगा। इस सभा का प्रत्येक सदस्य देशवासियों की सेवा करने के लिये कटिबद्ध है। पिछली बार मुझे सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग मिला था, हालांकि मैं ने कई अवसरों पर गलतियां भी की थीं। आशा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा।

मैं सभी दलों के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं निष्पक्षता और न्यायपूर्णता के साथ अपना कर्त्तव्य निभाता रहूंगा। आशा है कि मेरी मानवीय त्रुटियों को सदस्यगण कभी पक्षपात या अनौचित्य नहीं मान लेंगे। मैं, सभी के साथ-साथ, सभा की गरिमा बनाये रखने के लिये उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील रहूंगा। मैं एक बार फिर सभा को धन्यवाद देता हूं।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम*

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ को और आगे संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १७-५-१९५७ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ को और आगे संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नन्दा :** मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी विवरण

† **श्री नन्दा :** मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम ७१(१) के अधीन औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ द्वारा शीघ्र विधी बनाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विवरण

उच्चतम न्यायालय ने २७ नवम्बर, १९५६ को अपने एक निर्णय में कहा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २५(च) के अधीन किसी भी व्यवसाय के उचित और सदाशयपूर्ण ढंग से, या एक से दूसरे मालिक के हाथ में उसके स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण बन्द किये जाने पर, उसके मालिक द्वारा जिन मज़दूरों की सेवायें भंग की जायेंगी उनको छंटनी का प्रतिकर देना आवश्यक नहीं है । उसके बाद से, कई उपक्रमों ने, विशेषकर अहमदाबाद, कानपुर और पश्चिमी बंगाल के उपक्रमों ने कई विभिन्न कारणों से कई व्यवसाय बन्द करने की सूचनायें टांग कर या उन्हें वास्तव में बन्द कर के काफ़ी अधिक संख्या में मज़दूरों को बिना प्रतिकर दिये ही, बेरोज़गार बना दिया था । इसीलिये, सरकार ने इस स्थिति को ठीक करने के लिये अविलम्बनीय कार्यवाही करना आवश्यक समझा था, क्योंकि उससे मज़दूरों को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थीं । इसीलिये, सरकार ने २७ अप्रैल, १९५७ को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिसमें व्यवस्था की गई थी कि कुछ परिस्थितियों में उपक्रमों को सदाशयपूर्ण ढंग से बन्द या हस्तांतरित करने पर भी छंटनी का प्रतिकर अदा करना आवश्यक होगा । अध्यादेश १ दिसम्बर, १९५६ से प्रभावी हुआ है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

† **अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री तिरुमल राव द्वारा १४ मई को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

† **श्री त० ब० विट्ठल राव :** (खम्मम्): मैं एक बात पूछना चाहता हूं । यह कहां तक उचित है कि पहले तो सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा की जाये, फिर मांगों के सम्बन्ध में और वित्त विधेयक पर अगले सत्र में चर्चा की जाये । यह स्वस्थ प्रथा नहीं है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

† **अध्यक्ष महोदय** : यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही है। उसमें यही प्रक्रिया निश्चित की गई है। हम उसी प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं। माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रश्न उठा सकते हैं।

† **गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: मैं चाहता था कि मैं सभा का समय न लूं, लेकिन चर्चा की समाप्ति से पहले सरकार की ओर से एक सदस्य का भाषण करना आवश्यक होता है, मैं इसीलिये आपका समय ले रहा हूं। इस अवस्था में हस्तक्षेप करना सरकार का कर्त्तव्य बन गया है। सब से पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय को उनके निर्विरोध निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देता हूं। आपके इस प्रकार निर्विरोध चुने जाने से पूरी तौर पर सिद्ध हो जाता है कि आपकी पिछली पदावधि में सभा का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संतुष्ट रहा था। इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों को उनके निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। मुझे विभिन्न क्षेत्रों की जनता के कुछ नेताओं को सभा में देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह इसलिये कि इस सभा में जनता के विभिन्न मतो का जितना भी अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होगा, उतना ही सभी के लिये अच्छा होगा। हम चाहते हैं हमें अपने निर्णय करते समय सभा में सभी मतावलम्बियों से परामर्श करने का अवसर मिले, जिससे कि हमारे निर्णय अधिक से अधिक सही और सर्वांगपूर्ण बन सकें। इसलिये, मुझे विरोधी दल के सदस्यों से भी आशा है कि वे हमें अलग अलग मामलों के औचित्य के अनुसार, अपना विवेकपूर्ण समर्थन देंगे।

राष्ट्रपति का अभिभाषण अपने--आप में पूर्ण है उसमें कुछ जोड़ने-घटाने की गुंजाइश नहीं है। तमाम आलोचनाओं के प्रति वह अभेद्य रहा है। उन आलोचनाओं ने उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाई है। अभिभाषण की तर्क-संगति, कार्यक्षमता या उसकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसमें प्रस्तुत की गई नीतियां और कार्यक्रम और उनसे सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यवाहियां--सभी सही सिद्ध हुई हैं। हम अभिभाषण में प्रस्तुत उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिये पूरी आशा के साथ जुट सकते हैं।

मुझे श्री डांगे की इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि योजना को धीमी न पड़ने देने के सरकार के निश्चय से उन्हें बड़ा संतोष है। योजना के प्रति अपना अनुमोदन प्रकट करने का इससे अधिक प्रभावशाली ढंग नहीं हो सकता। वे चाहते हैं कि इस योजना की कार्यान्विति में विलम्ब न किया जाये। इससे स्पष्ट है कि इस योजना की आधारभूत नीतियों और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के कार्यक्रमों से भी वे संतुष्ट हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह योजना वास्तव में राष्ट्रीय योजना है। किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया है।

आचार्य कृपालानी को शिकायत यह थी कि योजना और संसद् की अवधि एक ही है, और इस योजना का प्रस्तावों को निर्वाचन के समय मत लेने के लिये प्रयोग किया गया था। यदि इस के बल पर मत लिये जा सकते हैं, तो हमें और भी बधाई मिलनी चाहिये, और आशा है कि कुछ हल्की आलोचना के साथ ही सही, आचार्य जी इस योजना को अपना आशीर्वाद तो देंगे ही। लेकिन तथ्यों को देखने पर, आचार्य जी का यह कथन सही नहीं ठहरता, क्योंकि यह योजना १ अप्रैल, १९५६ को आरम्भ की गई थी और चुनाव १९५७ के आरम्भ में हुए थे। इसलिये, जनता को इस योजना की परीक्षा करने के लिये काफ़ी अवसर मिल गया था। वह स्वयं ही इस योजना की उपयोगिता, औचित्य और प्रभावशीलता के देखकर अपना मत स्थिर करने का समय पा गई थी। जनता योजना से संतुष्ट थी। निर्वाचन के लिये इस योजना को प्रयोग करने

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

की आसक्ति उठना भी यही सिद्ध करता है कि यह योजना जनता की इच्छाओं और अभिलाषाओं से मेल खाती थी। हम चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय योजना को सभी के आशीर्वाद के साथ ही कार्यान्वित करें।

हमारा देश एककम विकसित देश है और इसमें भी कई वर्ग तथा समुदाय हैं। हमारे देश में बहुत ही अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र और राज्य भी हैं जो और कम विकसित हो पाये हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद, हमने एक ऐसे समतावादी समाज के रचने का दृढ़ संकल्प कर लिया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिले और वह सभी नागरिकों के साथ भाई-चारे और सहयोग से रह सके।

(श्री फ्रेंक एन्थनी पीठासीन हुए)

हमारा उद्देश्य यही है, और आशा है कि हम इस सभा के सभी सदस्य के समर्थन से, सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते जायेंगे, और उससे हमें अधिकतम लाभ होगा।

प्रधान मंत्री ने भी योजना की कुछ बातों के सम्बन्ध में कहा था। वित्त मंत्री का विशद भाषण भी आपने सुना है। वह भी इससे कुछ सम्बंधित था। और सभी दल इस योजना से सहमत भी हैं। इसलिये इस पर अधिक कुछ कहना व्यर्थ है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बंधी चर्चा में खाद्य की समस्या ने काफी महत्व धारण कर लिया है यही होना भी चाहिये था। खाद्य मंत्री ने अपना वक्तव्य भी दिया है। उन्होंने जो आंकड़े जुटाये हैं, वे निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि हमारे देश में गत दस वर्षों में खाद्य के उत्पादन की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। कुछ आलोचना यह भी की गई है कि हमारे आंकड़े सही नहीं हैं। यह तो हम भी नहीं कहते कि हमारे आंकड़े सौ-प्रतिशत सही हैं। हो सकता है कि आंकड़ों के संग्रह की पद्धति में कुछ त्रुटियां हों, लेकिन उनसे वस्तु-स्थिति तो नहीं बदल जायेगी। हम पहले की और आज की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यह तो निसंदेह है कि खाद्य के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। खाद्य मंत्री ने पंचवर्षीय काल के अलग-अलग आंकड़े रखे हैं। एक वर्ष भर के आंकड़ों की तुलना के बारे में तो कोई दो रायें हो सकती थीं, लेकिन पंचवर्षीय औसतों के सही होने न होने के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता। पंचवर्षीय औसतों के इन आंकड़ों की तुलना के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, १९४६–४७ से १९५६–५७ तक अनाजों के उत्पादन में ४३५ लाख से ५४८ लाख टन तक की वृद्धि हुई है। हर वर्ष में ही कुछ न कुछ वृद्धि हुई है। इसे हम केवल प्रकृति की कृपा या दया मात्र नहीं कह सकते। यह प्रगति वर्ष-प्रति-वर्ष लगातार हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर ११० लाख टन की वृद्धि हुई है, यानी इस पंचवर्षीय काल में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, प्रति एकड़ उपज का औसत भी ५१९ से ५७९ पौंड हो गया है। इस वर्ष धान के उत्पादन में २० प्रतिशत, गेहूं के उत्पादन में ३६.८ प्रतिशत और मोटे अनाजों के उत्पादन में २९.९ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।

फिर भी इस बात का उत्तर देना ही पड़ेगा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई। इस सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पिछले ५ वर्षों के आंकड़ों को देखें। वे देखेंगे कि १९५४ और १९५५ की तुलना में मूल्यों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। पर वृद्धि हुई अवश्य है। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ स्थानों पर उत्पादन

भी पर्याप्त नहीं हुआ है। पर हमें इस प्रश्न को विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिलता। यदि मूल्य में वृद्धि हुई है तो यह इस बात का प्रमाण है कि देश की समृद्धि बढ़ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि उन व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ रही है जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता है या पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। मुझे आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में भी उत्पादन तथा देश की समृद्धि में वृद्धि होती रहेगी। जहां तक संभव होगा एक सन्तुलन बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा ताकि हम लोग अचानक पैदा होने वाली आपत्तियों का डर छोड़कर शान्ति पूर्वक रह सकें। पर आज हमारी जनता के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज के ढांचे तथा ब्रिटेन के सामाजिक ढांचे में कुछ अन्तर है। ब्रिटेन एक औद्योगिक देश है। उसे अपने लिये बाहर से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। खाद्य का मूल्य बढ़ने से वहां की सारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाती है और एक बड़ी मात्रा में उन्हें स्टर्लिंग देना पड़ता है। या उसी मूल्य का सामान देना पड़ता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। जब सीमेण्ट, लोहा, रेलवे टिकट के मूल्य म तथा किराया भाड़ा में वृद्धि होती है तो खाद्यान्नों का मूल्य भी अवश्य बढ़ जायेगा। यह लक्षण मुद्रा-स्फीति का नहीं है क्योंकि निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। इस वक्त जो मूल्य हैं वह गत वर्ष के मूल्यों से कुछ बहुत अधिक नहीं हैं। इस से पता लगता है कि मूल्यों पर काफी हद तक नियंत्रण रखा गया है। यदि किसान की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जो यह कोई दुख की बात नहीं है। किसानों की क्रय शक्ति पर ही सभी उद्योगों तथा अन्य सभी बातों की प्रगति निर्भर है। अतः यदि किसानों को थोड़ा अधिक लाभ हो रहा है तो हमें इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि मूल्यों में वृद्धि हो पर मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था ऐसी संतुलित होनी चाहिए कि सभी लोग आराम से रह सकें। यह बात निर्विवाद है और सत्य है कि नगरों में रहने वालों की औसत आय ग्रामों में रहने वालों की औसत आय से बहुत अधिक है। अतः नगर के लोग ग्रामों के लोगों की अपेक्षा अधिक त्याग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि जब कि उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि किसानों की आय में कोई कमी न होने पाये और संभरण भी पर्याप्त हो, साथ ही जब अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं तो खाद्यान्नों के मूल्य की वृद्धि के सम्बन्ध में भी हम शिकायत नहीं करनी चाहिए।

फिर, मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह बहुत अधिक नहीं है और सरकार सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेज भी नहीं सकी है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था करे और लोगों को खाद्यान्न मिल सके। पर हमें कुछ संयम से काम लेना चाहिए। बरबादी नहीं होनी चाहिए। देश में अब भी काफी अन्न बरबाद किया जाता है। यदि हम इस बरबादी को रोक दें तो हमें ५ प्रतिशत अधिक भोजन मिल सकता है। इससे बहुत लाभ होगा। उपभोक्ता को तो खाद्यान्न चाहिए पर सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उपभोक्ता पर बोझ बढ़ने न पावे। इसीलिए वित्त मंत्री २५ करोड़ रुपये का एक सरकारी अनुदान संग्रह उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए खोलना चाहते हैं, जो खाद्यान्न खरीदना चाहते हैं। इसी हेतु वित्त मंत्री एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त करना चाहते हैं कि सभी समस्याओं पर, उनके ठीक स्वरूप पर, विचार किया जा सके और तत्सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करने के बाद कुछ विचार निर्धारित किया जा सके। हमारा प्रयत्न यह है कि किसानों की आय कम न होने पावे बल्कि उसके खेती के ढंग में सुधार किया जाये और वे ५ मन के स्थान पर १० मन पैदा करने लगें ताकि यदि मूल्यों में कमी हो जाय तो भी उनकी कुल आय में कमी न होने पाये। यही इस समस्या का हल है। एक ओर तो हमें उचित मूल्य पर खाद्यान्न

[पंडित गो० ब० पन्त]

मिल सकेंगे दूसरी ओर गांवों के रहने वाले अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जीवन की सभी आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर सकेंगे ताकि नगर के जीवन की शान शौकत के लिए उनके मन में लालच न पैदा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें अपनी योजना में कृषि को सर्वप्रथम स्थान देना है। और कुछ चाहे हो या न हो पर किसानों की आय अवश्य बढ़नी चाहिए। हमारे पास देश के सभी व्यक्तियों तथा सभी मजदूरों को स्वस्थ रहने के लिये व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न होना चाहिए।

बम्बई के द्विभाषी राज्य के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है। यदि इस सम्बन्ध मे मैं कुछ भी न कहूं तो यह कहा जायेगा कि मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात का उत्तर नहीं दिया। सभा के दो बड़े सदस्यों तथा अन्य अनेक सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। कुछ सदस्यों ने कांग्रेस के उम्मीदवार की हार पर सहानुभूति प्रकट की है। मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि राज्य-सभा और लोक-सभा दोनों में हमारे सदस्यों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई है, अतः संसद् के सदस्यों की हार के सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, तो मैं यह कह रहा था कि हम ने काफी विचार करने के बाद बम्बई के सम्बन्ध में निर्णय किया था। संसद् के सभी सदस्यों ने स्वयं निर्णय किया था कि बम्बई एक द्विभाषी राज्य हो। यह एक राष्ट्रीय समस्या थी और राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने लगभग सर्वसम्मति से इसको हल किया था। बम्बई शुरू से ही एक द्विभाषी राज्य रहा है। वहां गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों प्रदेश के व्यक्ति शान्तिपूर्वक, सद्भावना तथा मित्रता से रहते आये हैं। बम्बई प्रशासन की निपुणता, अपने नागरिक शिष्टाचारों, आतिथ्य तथा औद्योगिक उत्पादन के उच्च स्तर के लिए मशहूर रहा है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बम्बई की यह सभी विशेषतायें उसके द्विभाषी राज्य में ही उसे प्राप्त हुई थीं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि बम्बई एक द्विभाषी राज्य ही रहना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की थी कि भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य के मराठी भाषाभाषी ८ जिलों को मिला कर विदर्भ राज्य बनाया जाये। सौराष्ट्र को बम्बई के साथ ही रखा जाये।

विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग रखने के प्रश्न पर बहुत असंतोष प्रकट किया गया। यह तर्क उपस्थित किया गया कि जब सम्पूर्ण गुजरात को बम्बई में सम्मिलित किया जा रहा है तो मराठी भाषाभाषी एक भाग को बम्बई से अलग क्यों रखा जाय। हम ने कई वैकल्पिक प्रस्थापनायें रखीं पर उन्हें नहीं माना गया।

महाराष्ट्र कांग्रेस समिति के कुछ सदस्यों ने जिनमें से अधिकांश अब संयुक्त महाराष्ट्र दल के सदस्य हैं—यह मांग की थी कि अकोला और नागपुर को भी बम्बई राज्य में रखा जाय और सम्पूर्ण गुजरात तथा सम्पूर्ण महाराष्ट्र तथा बम्बई को मिला कर द्विभाषी बम्बई राज्य बनाया जाये। हमें महाराष्ट्र कांग्रेस समिति का समर्थन प्राप्त था पर फिर भी हम इस हल को स्वीकार नहीं कर सके। हमें चिन्ता थी कि बम्बई के सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए। श्री फ्रैंक एन्थनी ने इस सभा में संशोधन प्रस्तुत किया कि बम्बई को एक द्विभाषी राज्य बनाया जाना चाहिए। उसका समर्थन श्री तुलसीदास किलाचन्द और श्री अशोक मेहता ने किया। श्री चि० द्वा० देशमुख ने भी इसका समर्थन किया क्योंकि उनके विचार से यही सबसे अच्छा हल था। इस विषय पर तर्क इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि लोगों के दिलों में बड़ी उग्र भावनायें हैं वे चाहते हैं कि यह निर्णय बदल दिया जाय। राज्य पुनर्गठन आयोग की मूल्य प्रस्थापन बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाने के पक्ष में थी पर उससे महाराष्ट्र

के हित को कुछ ठेस पहुंचती थी। इसीलिए गुजरात और बम्बई ने तो उसे स्वीकार कर लिया पर महाराष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम ने जो प्रस्ताव रखा उसे सभा के अधिकांश सदस्यों ने मान लिया। मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जो सभा के निर्णय का समर्थन नहीं करते कि क्या वे सभा के सामूहिक निर्णय का सम्मान नहीं करते ? क्या वे इस संसद् द्वारा स्वीकृत किसी योजना को कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते ? फिर, यह संसद् कैसे काम करेगी ? क्या केवल कुछ लोगों का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण सभा में काफी सोच विचार कर तथा लगभग सर्व सम्मति से किये गये निर्णयों को उलट दिया जाये ? मैं तर्क नहीं करना चाहता पर यह सच है कि बम्बई, महाराष्ट्र तथा गुजरात तीनों प्रदेशों से चुनकर आये हुए सदस्यों ने द्विभाषी बम्बई राज्य का समर्थन किया है।

श्री डांगे चाहते हैं बम्बई युक्त महाराष्ट्र एक राज्य बने और गुजरात का एक पृथक राज्य बने। श्री याज्ञिक जिन्होंने कल भाषण दिया था श्री डांगे से सहमत नहीं हैं और उन्होंने उन के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : मैं ने उन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। मैंने सारे दलों के एक गोल मेज सम्मेलन का समर्थन किया था।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं तर्कों और दिये गये वक्तव्यों के सम्बन्ध में कह रहा हूं। उन्हें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि वहां द्विभाषीय बम्बई राज्य बन गया है। उन की शिकायत यह है कि बम्बई महाराष्ट्र और गुजरात के तीन पृथक राज्यों वाले सूत्र के विरोध में यह द्विभाषीय बम्बई राज्य बनाया गया है। उन की शिकायत यही है।

क्या श्री डांगे दो इकाइयों वाले सूत्र को पुनः लागू करवाना चाहते हैं। नहीं, वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इस प्रकार अग्रगामियों में भी यद्यपि वे किसी बात का विरोध करते हैं, तो भी वे किसी एक हल के लिये सहमत नहीं हो पाते हैं। लोगों के लिये किसी एक बात का विरोध करना सरल होता है। किन्तु किसी क्रियात्मक हल को ढूंढ़ निकालना कहीं कठिन होता है। वस्तुतः कठिनाई यही है। हम ने उस कठिनाई का इस प्रकार हल किया कि हमें उस के पक्ष में भारत के प्रत्येक निश्पक्ष और निरपेक्ष देशभक्त का समर्थन प्राप्त था। आचार्य कृपालानी तथा अन्य कई मित्रों ने भी इस का समर्थन किया था।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : क्या मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, १ अगस्त १९५६ को प्रधान मंत्री द्वारा पूना में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित कर सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों के तर्कों को शान्ति से सुनना चाहिये। तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : वस्तुतः उन दिनों भी यही दुर्भाग्य रहा। तर्कों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना गया। विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों को बोलने नहीं दिया गया। उन पर पत्थर फैंके गये और उत्तेजनात्मक पोस्टर चिपकाये गये।

†**श्री थपाई** : उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे इस बात का बहुत दुःख है। मैं आप से सहानुभूति रखता हूं। युवक हमारे देश की पूंजी हैं। मैं उन की सुरक्षा और कल्याण के लिये सब कुछ करूंगा। उन के कष्टों को देख कर मुझे असीम दुख और वेदना होती है। किन्तु हम अपने इन घावों का उपचार गुंडागर्दी तथा

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

असमाजिक व्यवहार कर, नहीं कर सकते हैं । हमें इस का उपचार करना चाहिये । हमें स्वयं उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिये । मैं आप को बता रहा था कि लोगों को शान्ति से सुनना चाहिये । मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं है कि विरोधी दल में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो हमारी बातें धैर्यपूर्वक नहीं सुनना चाहते, जब कि हमारा एक मात्र लक्ष्य उनकी सेवा करना और उन की सदिच्छायें प्राप्त करना है । देश की सेवा करने का एकमात्र मार्ग यही है कि हम उन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करें जो हम से सहमत नहीं हैं । इस के सिवा कोई मार्ग नहीं है । मैं अपनी बात मनवाने में विश्वास करता हूं ऊपर से लादने में नहीं । मेरा प्रयत्न सदैव यही रहता है ।

दुख की बात है कि यह प्रक्रिया गुजरात और बम्बई में नहीं चलने दी गई । मैं आशा करता हूं भविष्य में हम ऐसे अवांछनीय दृश्य नहीं देखेंगे । मेरे विचार से इस मामले में मुझे आगे और कुछ नहीं कहना है । मैं इस के सम्बन्ध में पहले ही पर्याप्त कह चुका हूं ।

काश्मीर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें थीं । वस्तुतः मैं काश्मीर की समस्या को नहीं लेना चाहता हूं । किन्तु एक बात समाचारपत्रों में प्रमुखता से कही गयी । पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर के प्रतिनिधियों के, उत्तर क्षेत्रीय परिषद् में भाग लेने के विरूद्ध विरोधपत्र भेजा है ।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद् जैसा कि इस सभा के सदस्य जानते हैं, पिछले अगस्त से कई महीने पूर्व बनी थी । मेरे विचार से जब राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था तो उसमें एक उपबन्ध यह भी रखा गया था कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर राज्य रहेगा । उस समय ऐसा निर्णय किया गया था ।

उस समय यह प्रश्न नहीं था कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में जाने की गलती करेगा । कोई नहीं जानता था कि उस के दिमाग में यह कुत्सित विचार है । निर्णय किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से नहीं किया गया था । काश्मीर १९४७ में अपने विलय के पश्चात् से ही भारत का अंग बन गया है, और मेरे विचार से सदैव भारत का अंग रहेगा । १९५६ में इस विधेयक के अंतर्गत भारत ने यह खंड स्वीकार किया कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् बनाई जायेगी ।

१ नवम्बर १९५६ को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, तो यह क्षेत्रीय परिषद् भी बनाई गई । मैंने पिछले महीने इस परिषद् की एक बैठक बुलाई । मेरे विचार से इस में विरोध पत्र देने की कोई बात नहीं है । यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह परिषद्, पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद् में शिकायत रखे जाने के बाद बनी है । यह बिल्कुल निराधार बात है । वस्तुतः ऐसी बातों से ही पाकिस्तान, काश्मीर की जनता को खुश रखना चाहता है । यह केवल आश्चर्य की बात ही है कि इस प्रकार का तर्क रखा गया है ।

यह संतोष की बात है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ बुनियादी बातों को तथा काश्मीर के सम्बन्ध में उसके रवैये को, अधिकांश सभ्य देश स्वीकार करते जा रहे हैं । उस ने निशस्त्र जनता पर आक्रमण किया और हजारों व्यक्तियों की हत्या की । अब उन्हीं का रक्षक बनने का दावा कर उनको अपराधी ठहरा रहा है, जिन्होंने काश्मीर की सहायता की थी । काश्मीर अपने इतिहास में इतना समृद्धिशाली कभी नहीं हुआ था, जितना कि वह आज है । आज काश्मीर, देश तथा विदेशों से हजारों यात्रियों को आकर्षित कर रहा है ।

मेरे विचार से काश्मीर की समस्या को नैतिक दृष्टिकोण से देखना होगा । नैतिक दृष्टिकोण वह होना चाहिये जिस से काश्मीर की जनता का कल्याण हो । अन्य सभी बातें गौण हैं । भला आज

कौन इस बात से इन्कार कर सकता है कि भारत के साथ काश्मीर के सम्बन्ध से ही, काश्मीर की जनता का भला हो सकता है। यदि भारत और काश्मीर के बीच का सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा तो काश्मीर की इतनी ही बुरी हालत हो जायेगी जितनी आजाद काश्मीर की है। इसलिये मुझे इस बात पर और आगे कुछ नहीं कहना है ।

सभा के एक सुप्रसिद्ध सदस्य श्री मसानी ने दो अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में एक बात कही थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि नियमानुसार अध्यादेशों को जारी नहीं किया जाना चाहिये। और केवल आवश्यकता होने पर ही ऐसा किया जाना चाहिये। किन्तु यदि न्यायालय ऐसे निर्णय दें, जो संसद् के अभिप्राय के नितान्त प्रतिकूल हों, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाय ? जब हमारे द्वारा बनाई गयी विधि की भाषा त्रुटिपूर्ण हो और अभीष्ट अभिप्राय को यथार्थ भाषा में व्यक्त नहीं किया गया हो, तथा तत्काल लागू करने के लिये निर्णय करने हों तो ऐसी अवस्था में सरकार को क्या करना चाहिये ? सरकार पहिले ही पर्याप्त समय प्रतीक्षा कर चुकी थी। कुछ कारखाने बन्द हो गये थे और कुछ बन्द होने वाले थे। हजारों मजदूरों को काम से हटा कर बाहर फैंक दिया जा रहा था। क्या सरकार को यह देखते हुए भी प्रतीक्षा करनी थी। क्या स्वयं सदस्य इस बात को पसन्द करते ?

ऐसा इन हजारों मजदूरों को बचाने के लिये किया गया जिन पर अत्याचार किया जा रहा था। उन की रक्षा के लिये ही यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ।

बीमा कर्मचारियों के सम्बन्ध में दूसरे अध्यादेश का भी यही उद्देश्य था। मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री सारे प्रश्नों का निपटारा करने के लिये, तथा तत्सम्बन्धी निर्णय कर पूर्ण संतोष प्रदान करने के लिये तीन दिनों के भीतर ही स्वयं बम्बई गये। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने ८७ संशोधनों की सूचना दी है। कई सदस्यों को सभा में भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि मैं सभी मामलों को लेने लगूं तो कदाचित् सभा के अत्याधिक धैर्यवान सदस्य का भी धैर्य समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : क्या मंत्री जी को सरायकेला और खरसांवा के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं माननीय सदस्य को मुझ से यह प्रश्न न पूछने की सलाह दूंगा। सरायकेला और खरसांवा बिहार के भाग थे और बिहार में रहेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहिले उड़ीसा के भाग थे अब वे उड़ीसा से हटा दिये गये हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं सदस्यों से एक बात का निवेदन करता हूं। केवल मैं और सरकार ही नहीं अपितु संसद् सदस्य और उस के पूर्व आयोग भी—जिस के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे तथा देश के दो सुप्रसिद्ध व्यक्ति जिसके सदस्य थे—इस समस्या पर कई महीने विचार कर चुका है। आयोग ने कुछ सिफारिशें कीं। बहुत तर्क किये गये। छोटी छोटी बातों पर भी बहुत सावधानी से विचार किया गया। तत्पश्चात् निर्णय किये गये। अब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जानी चाहिये। हम सभी को सभा की सामूहिक इच्छा स्वीकार करनी चाहिये, जिस से कि वह अधिक शक्तिशाली हो, साथ ही हमें भी शक्ति प्राप्त हो तथा हमारा देश उस उच्च स्थिति को प्राप्त करे जिसे अपने प्राचीन इतिहास, विशाल जन संख्या और विशाल क्षेत्रफल के कारण वह प्राप्त करने का अधिकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं उन संशोधनों को जिन पर सभा को मतदान करना है तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं। साढ़े तीन बजे गैर-सरकारी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के आर्थिक हित के निमित्त, कोयला खान उद्योग तथा उस के विकास पर, अधिक सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कोयले के निक्षेपों वाली खाली पड़ी हुई भूमि के या ऐसी भूमि के, जिस से कोयला मिलने की संभावना हो, राज्य द्वारा अर्जन किये जाने तथा उस पर अधिकार करने और किसी भी समझौते पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार के करार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों में रूपभेद करने या उन्हें समाप्त करने की तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ने २२० लाख टन अधिक कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उस में १०० लाख टन गैर सरकारी क्षेत्र में और १२० लाख टन सरकारी क्षेत्र में उत्पादन किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र को जो १२० लाख टन अधिक उत्पादन करना है उस में से १०० लाख टन उत्पादन नये कोयला क्षेत्रों, जिन्हें अभी विकसित करना और खोदना है, से किया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम' नाम से ५० करोड़ की पूंजी से एक गैर सरकारी लिमिटेड समवाय बनाया गया है ।

कोयले वाले लगभग सभी क्षेत्रों के लिये खनन के पट्टे या तो गैर सरकारी व्यक्तियों को दिये जा चुके हैं या वे उन खनन अनुज्ञप्तियों के अधीन आते हैं जिन्हें खनन की भी पट्टेदारी प्राप्त है। इसलिये यह आश्वयक है कि सरकार को गैर-सरकारी पट्टों के अन्तर्गत आने वाले खाली पड़े हुए वे कोयला क्षेत्र प्राप्त करने का अधिकार हो, जो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये आवश्यक उत्पादन से अधिक हैं।

इसलिये जिस ऐजेन्सी को ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वह तैयार हैं। जहां तक तत्सम्बन्धी विधान का सम्बन्ध है यह पूरी तरह मान लिया गया है कि भूमि अर्जन अधिनियम अथवा खान और खनिज पदार्थ रियायत नियमों के अधीन प्राप्त शक्तियां वर्तमान समय में खनन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इस अधिनियम की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि वह सभा द्वारा, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में समय समय पर निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप है। अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी। उस सूचना के कुछ परिणाम होंगे। जिस प्राधिकारी को खानों का विकास कार्य सौंपा गया है, उसी प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह खनिजों को खोजने अथवा निकालने से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य करे ।

प्रतिकर देने से सम्बन्धित उपबन्ध उन सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप हैं जिन्हें समान स्थितियों के लिये स्वीकार किया गया है। ये उपबन्ध न केवल नाममात्र को ही हैं न अत्याधिक उदार हैं। वह समुचित प्रतिकर देने के सिद्धान्त पर आधारित हैं और इस सम्बन्ध में उस राशि का भी ध्यान रखा जायेगा जो कि दूसरे पक्ष द्वारा—जिन के अधिकारों का अर्जन किया जा रहा है—व्यय की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में उत्पन्न हुए विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गई है। विधेयक में एक अधिकरण की नियुक्ति का उपबन्ध है, जिस में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद का एक व्यक्ति होगा। वह प्रतिकर से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करेगा।

†**श्री सूपाकर** (सम्बलपुर) : सभा में गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : एक बजे से ढ़ाई बजे के बीच हम गणपूर्ति पर जोर नहीं देते। यदि कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जाता है जिस के लिये मतदान की आवश्यकता होती है तो हम उसे ढाई बजे के पश्चात् लेते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तत्पश्चात् उच्च न्याययालय में अपील करने का भी एक उपबन्ध है। खंड २० (१) के अधीन असन्तुष्ट व्यक्ति अधिकरण के पंचाट के विरुद्ध उस उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, उस की वह भूमि आती है जिसे अर्जित कर लिया गया है।

अन्य उपबन्ध भी उन्हीं आधारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं जिन्हें मैं ऊपर बता चुका हूं।

जिन मूल सिद्धान्तों पर यह विधेयक आधारित है वे उस ढांचे के अनुसार हैं जिसे इस माननीय सभा ने पहले वैसे ही विषयों पर विचार करते हुए स्वीकार किया है और अनुमोदित किया है। तो भी यदि सिद्धान्त के सम्बन्ध में अथवा किसी संदेहास्पद बात के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाया जा सकता है तो सरकार उन पर विचार करने के लिये तैयार है।

परन्तु एक बात है जिसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १२० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निश्चय ही एक महत्वाकांक्षा है। इस समय के ३८० लाख टन उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कुल २२० लाख टन की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक है। योजना काल का एक वर्ष गुजर चुका है। सरकार ने यह जानने के लिये गैर सरकारी लोगों से बातचीत की थी कि विभिन्न पट्टेदारों से उचित शर्तों पर पट्टों के अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं। परन्तु उस में ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने लगभग १ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें ले ली हैं और उन से काम आरम्भ कर दिया है और योजना काल के शेष समय में हमें इस लक्ष्य की पूर्ति करनी है।

एक बार तो सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही थी कि अध्यादेश प्रख्यापित कर के उन क्षेत्रों का अर्जन कर लिया जाय। परन्तु फिर यह विचार किया गया कि संभवत: यह एक ऐसा विषय है जिसे अध्यादेश अधिनियमित कर के संविधि पुस्तक में नहीं रखा जा सकता। मैं केवल इस विधान के महत्व की ओर संकेत कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इस माननीय सभा के सभी सदस्य इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में लाने में मुझे सहयोग प्रदान करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्)** : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि सरकार ने यह निश्चय किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, अत: यह विधान उस पथ पर एक सराहनीय कदम है।

कोयले के उत्पादन में हम यदि दूसरे देशों से तुलना करें तो पता लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं। उदाहरणत: इंगलैंड भारत से तेरहवां भाग होगा और उस का प्रतिवर्ष उत्पादन २३०० लाख टन है, अमरीका का उत्पादन ४६०० लाख टन है। इसे ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६०० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

हमारे देश के विभिन्न भागों में कोयले की खानें फैली हुई हैं। भूत कालमें अंग्रेजी समवाय इन में काम करते थे और वे केवल अपने लाभ के लिये राष्ट्रीय सम्पत्ति की ओर कोई ध्यान न देते हुए बिना किसी योजना के काम करते थे। इस का नतीजा यह हुआ है कि आज हमारी खानों की हालत बहुत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

शोचनीय है। बहुत सी खानों में पानी भर गया है और उनमें काम करना बहुत कठिन हो गया है। कुछ खानों में पूरा काम ही नहीं हुआ जैसा कि बिरला ब्रादर्स की खान बंद कर दी गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी कल ही प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ने बताया है कि हम ४० लाख टन तेल (क्रूड आयल) आयात करते हैं। इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय होता है जब कि उस के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाला कोयला देश में पर्याप्त है। हैदराबाद में ८०० वर्ग मील में कोयले की खानें हैं और केवल ३० वर्ग मील में काम हो रहा है। उत्पादन की वृद्धि ही इस विधेयक का प्रयोजन है।

मुझे विश्वास है कि इस लक्ष्य पूर्ति के लिये जो समिति छोटी खानों के संविलय पर विचार करने के हेतु स्थापित की गई थी उस ने प्रतिवेदन दे दिया होगा और इस विषय में शीघ्र ही नया विधान प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं अनुभव करता हूं कि जिन खानों में आयोजित ढंग से काम हुआ है उन्हें प्रतिकर रूप में उचित राशि देनी चाहिये। विवाद होने पर न्यायाधिकरण के निर्णय को अन्तिम बना देना चाहिये ताकि मुकदमेबाजी न बढ़े।

†श्री भरुचा (पूर्व खानदेश): मैं विधेयक के सिद्धान्त का स्वागत करता हूं, परन्तु इस की योजना और प्रतिकर सम्बन्धी खंड सन्तोषजनक नहीं है।

योजना की त्रुटि यह है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सभी क्षेत्रों के अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में हैं। परन्तु केवल जमींदारी भूमि में ही कोयले के क्षेत्र नहीं हैं वरन् अन्य भूमियों में भी हैं। उदाहरणतः बम्बई राज्य के इनाम भूक्षेत्रों में भी कोयले की खानें हैं और उन के अधिकार भूवृति स्वामियों के हाथ में हैं।

दूसरी त्रुटि यह है कि खानें खोजने और कोयला उत्पादन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया में केन्द्रीय सरकार राज्य के पट्टेदार के रूप में काम करेगी। क्यों न राज्य सरकारों को प्रतिकर दे कर केन्द्रीय सरकार सारी ऐसी भूमि का अर्जन कर ले और सीधे ढंग से काम करे?

सरकार खानों से कोयला निकालना चाहती है परन्तु इस के लिये ठीक ढंग नहीं अपनाया गया। एक अधिसूचना जारी की जाती है कि सरकार किसी क्षेत्र विशेष में कोयले की खोज का काम शुरू करेगी। अब होता यह है कि जिन लोगों की जमीनें होती हैं वे उस क्षेत्र के नक्शे आदि छुपा लेते हैं और सरकार को आगे काम करने के लिये सूचना नहीं देते। तो क्या हम यह उपबन्ध नहीं कर सकते कि उस क्षेत्र का स्वामी उक्त अधिसूचना पर सारे नक्शे आदि सरकार को दे दे? क्या विधेयक द्वारा उस क्षेत्र स्वामी को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह कोयले के उत्पादन सम्बन्धी परिणाम सरकार को बताये अन्यथा हम पूर्व अनुभव का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अतएव विधेयक की योजना में यह संशोधन होना चाहिये कि क्षेत्र विशेष का स्वामी सर्वेक्षण और खोदने आदि के परिणाम सरकार को बताया करे।

दूसरी बात यह है कि सरकार व्यर्थ से व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए तैयार है। अधिसूचना जारी होते ही उस क्षेत्र का स्वामी प्रतिकर का अधिकारी हो जायेगा। यदि वह अनुज्ञप्तिधारी हुआ तो उसे उस के वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिकर दिया जायेगा। उस व्यय में "अनुज्ञप्ति प्राप्ति का व्यय" भी सम्मिलित है। भला यह व्यय क्यों दिया जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुज्ञप्ति से तो उस व्यक्ति को कोई ऐसे अधिकार तो मिल नहीं सकते जिन्हें वापस न लिया जा सकता हो ।

विधेयक के प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा है कि अनुज्ञप्ति इतनी पवित्र होती है कि दक्षिणा बख्शीश और इनाम दिये बिना उसे नहीं छेड़ा जा सकता । मैं यह पूछना चाहता हूं कि संविधान में यह उपबन्ध क्यों किया गया था कि प्रतिकर के अपर्याप्त होने के बारे में विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती ? इस खंड के प्रयोग का इस से अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है ? ऐसे व्यक्ति को लीजिये जिस ने अनुज्ञप्ति लेने का जुआ खेला और जो नक्शों आदि पर बहुत कुछ व्यय करने के बाद कोयला प्राप्त करने में असफल हुआ हो । आप उसे किस बात का प्रतिकर देंगे । बहुत सम्भव है कि उसकी असफलता का कारण त्रुटिपूर्ण योजना और प्रबन्ध हो । उसे कोई प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं । विधेयक का मूल सिद्धांत तो यह है कि यदि अनुज्ञप्तियों से अच्छा उत्पादन नहीं होता तो सरकार अनुज्ञप्तिधारियों को कुछ प्रतिकर देकर अलग कर दे और स्वयं देश की खनिज सम्पत्ति से देश को लाभ पहुंचाये ।

पट्टे को लीजिये । यदि पट्टेदार अपने उपेक्षा भाव, बुरे प्रबन्ध और प्रविधिक साधनों के अभाव के कारण कोयला उत्पादन में असफल हुआ है तो भी सरकार उसे प्रतिकर देगी । विधेयक में यह उपबन्ध है कि सरकार उन वर्षों का पट्टे का किराया अथवा न्यूनतम स्वामिस्व (रॉयल्टी) प्रतिकर रूप में देगी जिन वर्षों में कोयले का उत्पादन न हुआ हो । आखिर इस का अभिप्राय क्या है ? जो व्यक्ति उपेक्षाभाव अथवा गलतियों के कारण कोयला उत्पादन में असफल हुआ हो उसे किस बात का प्रतिकर दिया जा रहा है ? इस के अतिरिक्त प्रतिकर की राशि पर ५ प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा । क्या सरकार इस प्रकार सरकारी कोष को व्यर्थ व्यय करना चाहती है ?

यदि सरकार भूमि खरीदना चाहे तो वह अधिसूचना के प्रकाशन के समय के बाजार भाव के आधार पर भूमि का प्रतिकर देगी । परन्तु यदि उस भूमि में खान न खोदी गई हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता क्योंकि वह कृषि योग्य नहीं रहती । वह स्वयं उस भूमि को बाजार में बेचने जाये तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा ।

समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की इच्छा रखने वाली यह सरकार इतनी उदार है कि वह गरीबों पर तो ९३ करोड़ रुपये का कर लगा रही है और धनाढ्यों को बाज़ार के मूल्य से भी अधिक क़ीमतें देना चाहती है । विधेयक में लिखा है कि भूमि अर्जन के समय खड़ी फसल को हुई क्षति और किसी अन्य भूमि से उस क्षेत्र को अलग करने के कारण हुई क्षति भी दी जायेगी । वस्तुतः ये बातें बाज़ार भाव में सम्मिलित होती हैं । खरीदने वाले को इन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । अगले उपखंड में कहा गया है कि यदि उस भूमि के अर्जन के कारण भूमि के स्वामी को अपना घर अथवा कारोबार बदलना पड़े तो उस के कारण हुए व्यय प्रतिकर में सम्मिलित होंगे । सरकार को अपने आप को साधारण क्रेता के स्तर पर रखना और अधिक भुगतान नहीं करना चाहिये । परन्तु यहां अगले उपखंड में, अधिसूचना के प्रकाशन के फलस्वरूप काम में हुई कमी को भी सम्मिलित किया गया है ।

१९५२-५४ में बम्बई में एक विधान पारित किया गया था जिस के अन्तर्गत इनामदार आदि को बहुत थोड़ा सा प्रतिकर दिया गया था जिस से सरकार को प्रतिवर्ष ४६ लाख रुपये का लाभ हो रहा है । परन्तु यहां बाज़ार दर से भी अधिक प्रतिकर दिया जा रहा है और कहा जाता है कि हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं । परन्तु यह तो पूंजीवाद और पूंजीवाद से भी बुरी स्थिति है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे जिनसे मुझे विश्वास है कि लाखों रुपये की बचत हो जायेगी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (सिकन्दराबाद) : माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, यह १९६१ तक ६० लाख टन कोयला पैदा करने के लक्ष्य की ओर प्रथम पग है । इसके सिद्धान्त तो सब को स्वीकार ही होंगे, परन्तु विरोधी पक्ष वालों की बातें भी विचारणीय हैं । मेरे विचार में संविधान के मुआवजे सम्बन्धी संशोधन के पश्चात इस विषय पर यह प्रथम विधेयक है । उस संशोधन में यह व्यवस्था की गयी थी कि मुआवजा सम्बन्धी सिद्धान्त संसद द्वारा निर्मित किये जायेंगे और इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती । यह प्रथम विधेयक है जिसमें इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : गंदी बस्तियों के अर्जन में हम यह कर चुके हैं ।

† **श्री मुहीउद्दीन** : धन्यवाद, परन्तु मुझे उस विधेयक के खंडो के बारे में जिसमें इन सिद्धान्तों का ज़िक्र है कोई ध्यान नहीं । यह विधेयक तो उससे अधिक प्रभावशाली है । बाजार दर की बात तो विधेयक के सिद्धान्तों में सम्मिलित कर ली गयी है, परन्तु उसमें कुछ और अधिक जोड़ने वाली बात से गड़बड़ होने की सम्भावना रहेगी । जो लोग बंगाल बिहार के कोयला क्षेत्रों में गये हैं, उन्हें पता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र ब्रिटिश समवायों के कब्जे में है, जो कि उन्होंने ७०, ८० वर्ष पहले अर्जित किया था । भूतत्व विभाग के पता लगाते ही कि यहां विशेष प्रकार का कोयला है इस क्षेत्र को इन समवायों ने अर्जित करवा लिया था । कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कोयला निकाला, परन्तु उनके कब्जे का बहुत सा क्षेत्र ऐसे ही पड़ा है । अब ७०, ८० वर्ष पहले इस पर किया गया खर्चा तो उस मुआवजे का अंश नहीं बनना चाहिए जो कि सरकार उसके लिये देना चाहती है । मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, और सात आठ दिन के पश्चात् उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए । प्रवर समिति मुआवजा देने के सम्बन्ध में सिद्धान्त तय कर देगी, जो कि सम्पत्ति अर्जन सम्बन्धी सभी विधेयकों के लिये पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा । मंत्री महोदय को यह मेरा सुझाव है । इसके अतिरिक्त खंड १३(२) में पट्टे और सलामी आदि को प्राप्त करने के लिये किये गये खर्चे के बारे में कुछ उल्लेख है जो स्पष्ट नहीं है । आशा है माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सलामी पगड़ी की तरह की नहीं है, जो प्रायः किरायेदारी में चलती है । इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं । शायद यही बात माननीय सदस्य को परेशान कर रही है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं छोटी खानों की विलयीकरण समिति का सदस्य रहा हूं । और मुझे यह पता है कि सलामी एक नजराना होता है जो कि किरायेदार को देना होता है ताकि वह जमींदार से जमीन पर कुछ अधिकार ले सके । बंगाल और बिहार सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है और वहां यह अवैध है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने सलामी को अवैध घोषित किया है तो इस विधेयक में इसका उल्लेख कैसे आ गया । विलयीकरण समिति ने भी छोटी खानों को विलयीकरण के लिये दिये जाने वाले मुआवजे सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार किया था । उसमें हमने सलामी की व्यवस्था नहीं रखी थी ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय सार्वजनिक क्षेत्रों में १२० लाख टन अतिरिक्त कोयला पैदा करने की योजना पर भी प्रकाश डालेंगे । निगम को यह बताया गया है और माननीय मंत्री ने भी बताया है कि एक करोड़ रुपये की कीमत की मशीनरी मौके पर पड़ी है । १९६१ तक, ८० अथवा १०० लाख टन कोयले का लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजना की प्रगति क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

क्योंकि हमारे विचार में १९६१ के अन्त तक २२० लाख टन का उत्पादन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। निजी क्षेत्रों में २२० लाख में से अपना अंश पूरा करने की योजनायें बन रही हैं। उन की शिकायत है कि उन की योजनाओं को स्वीकृत करने में मंत्रालय बहुत समय लगा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में निगम स्थापित है। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला उत्पादन का पुनरीक्षित लक्ष्य कितना है और इस में से कितना वर्तमान सरकारी खानों से आयेगा ? और कितना १९६१ तक काम करने वाली नयी खानों से प्राप्त हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार में मैं ने प्रारम्भ में ही बता दिया था कि नई खानों से १२० लाख टन से १०० लाख टन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है । सिंगरेनी की खानों से १५ लाख टन उत्पादन होगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : १५ लाख टन तो १९५६ में है, १९६१ में तो ३० लाख टन होगा और वर्तमान बंगाल और बिहार की खानों में २० से ३० लाख टन तक वृद्धि हो जायेगी।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी तो वहां उत्पादन केवल ५ लाख है, पांच लाख और १५ लाख, २० लाख होगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : आश्चर्य ही है, मेरा विचार तो यह था कि उत्तर बिहार में बुकारों में यह उत्पादन वर्तमान से तीन गुना अधिक हो जायेगा। खैर, नयी खानों से १०० लाख टन के उत्पादन में मुझे सन्देह है। चूंकि हमें विधेयक के सम्बंध में मुआवजे के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का निर्णय करना है इस लिये मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सहमत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिये सहमत होंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो कोल बिएरिंग एरियाज (एक्वीजीशन ऐंड डेवलपमेंट) बिल आया है, इस के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजंस (उद्देश्य तथा कारणों का विवरण) में कई बातें बड़ी वाजे तौर पर लिखी गई हैं जिन में एक यह है कि यह जो २२ मिलियन टन एडीशनल कोल का प्रोडक्शन सैकेंड फाइव इयर प्लान के दौरान होना है उस में से १२ मिलियन टन पब्लिक सैक्टर के वास्ते और १० मिलियन टन कोल प्राइवेट सैक्टर के वास्ते रखा गया है। इस के बारे में स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स के दूसरे पैरे में जो अलफाज हैं वे इस तरह हैं :—

> "यह निश्चय किया गया है कि २२० लाख टन का जो वार्षिक उत्पादन-लक्ष्य रखा है, उस में से १२० लाख टन सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा पूरा किया जायेगा बाकी उत्पादन वर्तमान खानों तथा दूसरे क्षेत्रों से पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के हिस्से में होगा ।"

इस के मानी यह हैं कि आयन्दा कोई नई कोल्यिरीज प्राइवेट सैक्टर में नहीं खोली जायेंगी बल्कि एग्जिस्टिंग कोल्यिरीज, (वर्तमान खानें) और इम्मिजिऐटली कंटिगुएस एरियाज ही में से उन को प्रोवाइड करना है। मैं जानता हूं कि लोकल गवर्नमेंट्स और हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही अन्दर यह एक टेंडेंसी (प्रवृत्ति) है कि अगर जरा भी उन को किसी चीज की जरूरत हो तो प्राइवेट राइट्स एण्ड प्रापरटी (निजी सम्पत्ति और अधिकार) की वह पर्वाह नहीं करती हैं और इस बहाने से कि गवर्नमेंट को जरूरत है कम्युनिटी को जरूरत है, छोटी सी एक बात पर भी प्राइवेट आदमी की प्रापर्टी की परवाह न कर के बड़ी आसानी से हुक्म दिया जा सकता है कि उस को फौरन रिक्वीजीशन (अर्जन) कर ले या ऐक्वायर कर ले। जब पहले नोटिफिकेशन (अधिसूचना) होता था और जो पहले

---

† मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ला (कानून) था और मैं समझता हूं कि अब भी ला (कानून) यही है कि जब तक किसी चीज की सख्त और अजहद जरूरत न हो, जब तक सरकमस्टान्सेज (हालात) ऐसे न हों, जिन के अन्दर यह जरूरी ही जाये कि किसी की प्रापर्टी (सम्पत्ति) ऐक्वायर (अर्जित) की जाये, तब तक किसी प्राइवेट शख्स (निजी व्यक्ति) की प्रापर्टी (सम्पत्ति) ऐक्वायर (अर्जन) नहीं की जानी चाहिये लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे वह लोकल गवर्नमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन हो या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन हो उस को जहां कोई अच्छी जगह हो या कहीं ऐसी प्रापर्टी हो जहां कोल ज्यादा मिलने की आशा हो या जो ज्यादा प्राफिटेबुल (लाभदायक) हो तो उस जगह को ऐक्वायर करने में किसी किस्म का हैजिटेशन (संकोच) नहीं होगा कि वह एक प्राइवेट आदमी की प्रापरटी ले रहे हैं।

मैं अदब से पहली चीज तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को महज इस बहाने पर या महज इस वजह से कि वह ऐसी चीज है कि प्राइवेट आदमी को फायदा न हो और कम्युनिटी को फायदा हो जाये, इस गरज से और इस नीयत से किसी प्राइवेट प्रापर्टी को ऐक्वायर नहीं करना चाहिये।

यही उसूल हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में भी रक्खा और अभी मेरे लायक दोस्त ने यह उसूल रक्खा कि सोशलिस्टिक पैट्रन कुछ और चीज है और कैपेटेलिस्टिक पैट्रन कुछ और चीज है। जहां तक एक्वीजीशन का सवाल है मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां वाकई में प्राइवेट प्रापर्टी लेने की जरूरत हो तो चाहे कैपटेलिस्टिक पैट्रन हो या सोशलिस्टिक पैट्रन हो, उस के एक्वायर करने के उसूलों में फर्क नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं जो तबदीली हम ने कांस्टीट्यूशन में की है उस में भी हम ने कोई तमीज किसी तरह की नहीं रक्खी है और जो कानून में तबदीली की है वह एक सी है ख्वाह वह सोशलिस्टिक पैट्रन या और किसी गरज के वास्ते प्रापर्टी ली जावे कांस्टीट्यूशन में हम ने जो इस की बाबत उसूल रक्खा है उस के मुताबिक और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की तकरीरों में भी यह चीज बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि गवर्नमेंट की हरगिज यह मंशा नहीं है और कानून की यह मंशा नहीं है कि किसी प्राइवेट आदमी को उस की प्रापर्टी के बदले रेडिकुलस कम्पेन्सेशन दिया जाय। मैं तो इस को ही रेडिकुलस समझता हूं कि किसी प्राइवेट प्रापर्टी के वास्ते रेडिकुलस कम्पेन्सेशन दिया जाये। मुआविजा हमेशा माकूल होना चाहिये। असली उसूल जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया था वह यह था कि कम्पेन्सेशन फुल और रेडिकेट होना चाहिये और यही अल्फाज थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कांस्टीट्यूशन में तबदीली होते समय अपनी तकरीरों में फरमाये थे। खसूसन ऐसी जायदाद के लिये जिस में लार्जस्केल एक्वीजेशन न हो और मामूली शहरियों की जायदाद का सवाल हो मैं यह सुन कर हैरान हू कि इस हाउस में अब तक इस तरह के ख्यालात हैं कि किसी को अगर कम्पेन्सेशन दिया जाये तो रिडिकुलस दिया जाये और हाउस में कहा जाये कि रिडिकुलस कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है। यह ख्याल बिल्कुल गलत है और मैं चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहब इस बात का लिहाज रक्खें कि जो कम्पेन्सेशन के असली उसूल हैं उन को हर्गिज न भुलाया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का इंसाफ है कि एक प्राइवेट आदमी की प्रापरटी कम्युनिटी के नाम पर ली जाये, उस को मजबूर कर के कि वह कुछ ज्यादा सैक्रिफाइस करे और कम्युनिटी कोई सैक्रिफाइस न करे। यह कह देना बड़ा आसान है, जो पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं इस के लिये बड़ी आसानी से और जल्दी कह देते हैं कि ज्यादा कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह ख्याल बिल्कुल गलत है। जब सोसायटी अपने वास्ते कोई चीज लेती है तो कोई वजह नहीं है कि एक प्राइवेट आदमी को नुकसान पहुंचाया जाये। मेरे लायक दोस्त ने कुछ मिसालें दीं, वह एक तरह से एकसेपशनल (अपवाद) नेचर की थीं। मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करने जा रहा था कि क्या कोई गारन्टी है, जब कि गवर्नमेंट सिर्फ ऐसी जायदाद लेगी जिस में कि पता लगाया जा सके, कि वह आदमी एक गैम्बलर है तो वहां फेल हो गया और गवर्नमेंट उसी जमीन से सोना पैदा कर लेगी। हर एक किस्म की जायदाद के वास्ते

एक ही उसूलन बुनियाद हुआ करती है एक ही कानून सब किस्म की जायदाद के एक्वीजीशन पर हावी होगा। सेक्शन ४ में लिखा है कि "जब गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा," बल्कि यह नहीं कि जब सरकार की तसल्ली होगी। इस नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट कब्जा करेगी और तजुरबा करेगी। गवर्नमेंट वहां पर इतना खुदवाएगी, इस तरह से काम होगा और इतने बरस तक उसे वह अपने पास रक्खेगी, और उसके बाद फैसला करेगी, और दफा ९ में कि उसे लिया जाय या नहीं। जनाब दफा ४ में मुलाहजा फरमायेंगे जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से वह शख्स अपनी जायदाद से महरूम हो जायेगा। चुनांचे दफा ६ के अन्दर यह साफ तौर पर दर्ज है जिस के ऊपर मेरे लायक दोस्त ने बड़े जोर शोर से शिकायत की कि अगर किसी की जमीन ली जाये तो उसे क्यों मुआवजा दिया जाये। मैं हैरान हूं कि जिस शख्स की जायदाद ली जाती है, उस के ऊपर गवर्नमेंट एक्स्पेरीमेंट कर के देखना चाहती है कि वह उस को आइन्दा के वास्ते ऐक्वायर करे या नहीं, सिर्फ इसीलिये उस को महरूम कर दिया जावे। और काफी दिन एक्स्पेरीमेंट करने के बाद जब गवर्नमेंट फेल हो जाये तो कहा जाय कि, जाओ हम ने एक्स्पेरीमेंट कर लिया और अब हम तुम्हारी जायदाद नहीं चाहते। यह अनुचित है। जो यह प्रावीजन है उसे अगली दफा में रिपीट किया गया है जिस के बारे में मेरे लायक दोस्त ने बड़ी एलोक्वेन्स का इजहार किया, उस में लिखा है :

> "(च) धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन और धारा ९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के समय के बीच भूमि से होने वाले लाभ में कमी के परिणामस्वरूप कोई वास्तविक क्षति"

जनाब मुलाहजा फरमायेंगे कि यह जो वक्फा है उस का लिहाज रखा गया है। एक और दफा में लिखा गया है, दफा ७ में, कि :

> "७(१) यदि केन्द्रीय सरकार को धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के सम्बन्ध में संतोष हो कि भूमि में अथवा उस के किसी भाग में कोयला है तो वह अधिसूचना निकालने के दो वर्ष के भीतर अथवा इस के एक वर्ष तक भी जैसा गजट में अधिसूचित किया हो, अर्जन के लिये नोटिस दे सकती है।"

जिस के माने यह हैं कि बरसों तक, जिस शख्स के बर्खिलाफ दफा ४ के मातहत नोटिफिकेशन जारी हुआ, वह सस्पेन्स में रहेगा कि पता नहीं गवर्नमेंट जमीन लेती है या नहीं, और इस जमाने में वह कोई फायदा उस जमीन से नहीं उठा सकेगा।

इस के बाद जनाब मुलाहजा फरमायेंगे कि मार्केट वैल्यू (बाजार दर पर कीमत) का बड़ा जिक्र किया गया। कहा गया कि जब मार्केट वैल्यू दी जाती है तो फर्दर ऐडवान्सेज देने की क्या जरूरत है लेकिन वह मार्केट वैल्यू कब की है ? सैक्शन १३ के सब-सेक्शन ५ के मुताबिक मार्केट वैल्यू उस दिन की नहीं है जिस दिन जायदाद एक्वायर की जाती है। वहां पर दर्ज है :

> "जब धारा ९ के अन्तर्गत कोई भूमि अर्जित की जायेगी तो सम्बन्धित व्यक्ति को उस का मुआवजा दिया जायेगा जिस का निश्चय यह विचार कर के किया जाये:—
>
> (क) कि धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के दिन बाजार दर क्या थी।

सेक्शन ४ के अन्दर जो नोटिस जारी करने की तारीख है उस दिन की मार्केट वैल्यू दी जाएगी। सेक्शन ५ के अन्दर जो है उस के माने यह हैं कि मान लीजिए आप किसी की जमीन ऐक्वायर करते हैं, कुछ दिन वह आप के पास रही, आप ने देखा कि जमीन आप के काम की है और उसको लेना चाहें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तो मुआवजा उस दिन का दिया जाएगा जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था । मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत अनजस्ट होगा अगर इस तरह का प्राविजन हो जाये कि जितने दिन गवर्नमेंट ने अपना कब्जा रक्खा है उस का कोई मुआवजा न दिया जाए । मैं कहना चाहता हूं कि दफा १३ का जो सब सेक्शन ५ है उस के सिवा बाकी के जो प्राविजन हैं जो मार्केट वैल्यू ऐड करते हैं वह उस दिन से ऐड करते हैं जिस दिन से कि ओरिजिनली जायदाद ऐक्वायर हुई है। और इस वजह से यह सब की सब दफात बहुत मुनासिब और दुरुस्त हैं । अगर जनाब उस कानून को देखेंगे जिस के अन्दर ऐक्विजिशन आम तौर से हुआ करता है यानी १८९४ के मातहत, उस में प्राविजन है कि सस्पेन्स और डिस्टरबैन्स के वास्ते १५ फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इसके खिलाफ थे । अभी हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने प्राइवेट आदमियों से प्राइवेटली जमीन ऐक्वायर करने का भरसक यत्न किया लेकिन लोगों ने अपनी जमीनें और लाइसेंस देने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जब गवर्नमेंट, मेरे लायक दोस्त के कहने के मुताबिक, इस कदर फैयाज है और ज्यादा से ज्यादा कम्पेन्सेशन देना चाहती है तो वह गैम्बलर जिस की गरीबी बढ़ गई है वह क्यों देने से इन्कार करता है ?

हर एक आदमी जो अपनी जायदाद का ठीक इस्तेमाल करता है वह खुद ज्यादा से ज्यादा फायदा उस से उठाने की बाबत सोचता है । उस शख्स को वह मुआवजा अपील नहीं करता जो गवर्नमेंट देना चाहती है, वह उसे पसन्द नहीं करता । अगर वह मुआवजा फैयाजाना होता, जैसा कि आनरेबल मेम्बर कहते हैं कि जमीन ऐसे हाथ में आ गई है जो गेम्बल में फेल हो चुके हैं चाहता है, तो वह क्यों उसको न लेता ? सरदार साहब गवर्नमेंट का रुपया लुटाना नहीं चाहते वह तो रुपये के सोलह आने के बजाय सवा सोलह आना बनाना चाहते हैं । इस लिए यह कहना कि गवर्नमेंट फैयाज हो गई है गवर्नमेंट सोशलिस्ट पैटर्न नहीं ला रही है, यह दुरुस्त नहीं है । मैं जानता हूं कि इस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट प्रापर्टी के साथ खेल रही है, और मुआवजा भी ठीक नहीं दिया जाता । मेरे दोस्त ने जमीदारों का जिक्र किया । मुझे बम्बई के लागू प्राविजन्स का पता नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में मैं उस मुआवजे की प्राविजन को ठीक नहीं समझता जिस के मातहत बम्बई गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया, लेकिन उस के लिए खुद आनरेबल मेम्बर साहब फरमाते हैं कि वह रिडिकुलस था । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसी शख्स को भी रिडिकुलस मुआवजा न दे, बल्कि ठीक मुआवजा दे। और जो मुआवजा देने का उसूल है वह भी मैं समझता हूं कि उस शख्स के नुक्ते निगाह का लिहाज कर के देना चाहिए, जिस की जायदाद ली जाए । यह प्राविजन हर्गिज जैनरस नहीं है। खुद मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह स्ट्रिजेंट नहीं हैं, लिबरल हैं। लेकिन इस सब को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उस को वास्तव में लिबरलाइज किया जाये और उस जमाने के मुताबिक मुआवजा दिया जाय जिस जमाने में जमीन ली जाती है। मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट किसी शख्स को अपनी प्रापर्टी से कम्युनिटी के वास्ते महरूम करती है, तो उस को पूरा मुआवजा मिलना चाहिये। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वह इस उसूल को अपने ख्याल में रक्खेंगे कि प्राइवेट प्रापर्टी उसी शख्स की ली जाये जो कि यह समझे कि इस से उस का फायदा होगा। कम्युनिटी के इंटरेस्ट में पहले तो किसी को बिना मर्जी के महरूम न किया जाये। और अगर ऐसा किया जाये, क्योंकि आप को अख्तयार है, तो अख्तयार के होते हुए भी फैयाजाना तौर पर उसे मुआवजा दिया जावे। हम ने अपने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९ के अन्दर यह प्रावीजन रक्खा है कि हर एक शख्स प्राइवेट प्रापर्टी के यूज का हक और डिसपोजल का हक रखता है, इस का लिहाज रक्खा जाय और आप सोशलिस्ट पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहें तो भी आप को हक नहीं है कि जिस किसी वक्त आप जिस की जायदाद चाहें ले लें। अगर ऐसा किया भी जाये तो उस के मालिक को पूरा मुआवजा न देवें ।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किशनगंज) : श्रीमान जी, विचाराधीन विधेयक बड़े महत्व का है। सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। विधेयक का सब से महत्वपूर्ण अंग मुआवजे का दिया जाना है। मेरा निवेदन है कि मुआवजा देने से पूर्व हमें यह देख लेना चाहिये वास्तव में मुआवजा देने की जरूरत भी है या नहीं। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि समस्त कोयले वाले क्षेत्रों के लाइसैन्सदार किरायेदारों का उस भूमि पर अधिकार है। इन लोगों ने भूमिदारों से पट्टे पर जमीन ली। मान लीजिये किसी ने एक अवधि विशेष के लिये भूमि ली और उस काल में वह कोयला न निकाल सका, तो इस स्थिति में वह मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

अन्य देशों में भी अर्जन होता है। अभी हमारा जो शिष्टमंडल चीन गया था उस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन सरकार ने बिना मुआवजा दिये कृषि योग्य भूमि अर्जित कर ली। राष्ट्र हित में ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु हमारे संविधान में मुआवजे की व्यवस्था है। मेरे विचार में माननीय सदस्य का यह सुझाव कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। सभी अंगों पर विचार कर निश्चय करना चाहिये कि मुआवजा देना भी चाहिये कि नहीं। आशा है मत्री महोदय मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्रीमान् जी, मैं विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यदि मैं विवाद के प्रवाह को ठीक समझ सका हूं तो वह यही है कि विधेयक के सिद्धान्तों को आप की सहमति प्राप्त है। बम्बई के एक माननीय मित्र को छोड़ कर जिन्हों ने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहा है, विधेयक के आधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं की गयी। मैं उन बातों का उत्तर दूंगा जो कि उन्होंने आलोचना के अन्तर्गत यह कहते हुए प्रस्तुत की है कि वह विधेयक के उपबन्धों से सहमत नहीं। इस मामले में उन की सब से बड़ी आपत्ति दो अलग अलग अधिसूचनाओं के बारे में है। एक कोयला का पता लगाने के बारे में और दूसरी खुदाई के सिलसिले में पट्टेदार के अधिकारों के अर्जन के बारे में। उन्हों ने यह कहा कि हम अनुचित व्यक्तियों को मुआवजा दे रहे हैं। अब इस प्रकार की युक्ति का उत्तर देना बहुत कठिन है। इतना ही आश्वासन दिया जा सकता है कि हमारा ऐसा आशय नहीं है। आखिर यदि हम कोयले के क्षेत्रों का अर्जन करना चाहते हैं, जहां अभी काम नहीं हुआ है, और काफी विकास नहीं हुआ है तो हम उन क्षेत्रों को नहीं लेंगे जहां कोयला कम है और जहां अन्य लोग कोयला निकालने में असफल रहे हैं। हम तो ऐसे क्षेत्र चुनेंगे जहां कोयला अधिक मिलने की संभावना है। हमें खराब क्षेत्रों से कोई लगाव थोड़े ही है। परन्तु फिर भी मैं उन का आभारी हूं कि उन्हों ने हमें इस सम्बन्ध में सचेत कर दिया है। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि अनुचित लोगों को कुछ न दिया जाये।

अन्य बातें जो सदस्यों ने कही हैं उस का संबंध मुआवजा देने के सिद्धान्तों से है। बम्बई के माननीय सदस्य जिन्होंने कई संशोधन पेश किये हैं मुआवजा देने से संबंधित खंड १३ के अन्तर्गत की गई भिन्न व्यवस्थाओं से कुछ डर से गये हैं। यदि वह उन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करें तो सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि हम ने कोई लिहाज नहीं किया है। हम ने न्यायोचित तथा ठीक रास्ता अपनाया है। मेरे विचार में विरोधी दल भी इस के विपरीत कुछ नहीं कह सकते।

खंड १३(१) के अन्तर्गत विभिन्न विषय यह है :

"(१) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में किया गया खर्चा"

यदि सरकार मूल अनुज्ञप्ति धारी के स्थान पर आ रही है तो उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में किया गया खर्चा देना चाहिये। फिर;

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

(२) नक्शे, चार्ट तथा अन्य दस्तावेजों के बनवाने पर हुआ खर्चा.....इत्यादि"

एक ओर तो माननीय सदस्य बड़े जोर से कहते हैं कि चार्ट नक्शे तथा अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों को छीन लेना चाहिये, ताकि हमें पूरी जानकारी हो सके, और दूसरी ओर यह कहते हैं कि उसे उस पर खर्च किये पैसे न दिये जायें। मैं इस बात पर भी आता हूं कि हमें उन्हें ये दस्तावेजों को देने के लिये बाध्य भी करना चाहिये कि नहीं। यदि हम अपने मुआवजा देने के दायित्व की पृष्ठभूमि में इस युक्ति का विश्लेषण करें तो निस्सन्देह हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि ठीक यही है कि हम उन्हें उस का पैसा दें।

आगे चलिये,

"(३) भूमि पर बनवाई गई सड़कों तथा अन्य आवश्यक निर्माण कामों पर किया गया खर्चा"

मेरे मित्र शायद आवश्यक शब्द देखना भूल गये। सड़कें तो जरूरी हैं हीं, और यदि अन्य निर्माण-कार्य भी आवश्यक है तो उस का भी मूल्य देना ही चाहिये। उस में शब्द यह हैं कि :

"यदि यह सड़कें आदि मौजूद हैं और ठीक प्रकार से प्रयोग किये जाने की अवस्था में हों।"

इस के पश्चात्,

"(४) भूमि पर कोयले का पता लगाने के सिलसिले में किये गये अन्य कार्यों पर आवश्यक खर्चा"

इस में फिर "आवश्यक" शब्द बड़ा महत्व पूर्ण है। मेरे अनुभवी और योग्य मित्र यह जानते होंगे कि विधानीय मामलों में प्रयोग किये गये शब्द बिना रहस्य के नहीं होते। इसलिये यदि इस खंड का विश्लेषण करें तो हम निश्चय ही इस परिणाम पर पहुचेंगे कि मुआवजा देने के जो सिद्धान्त हम ने रखे हैं वह अच्छे और मुनासिब ही हैं।

इस के साथ ही अनुज्ञप्ति और खुदाई करने के पट्टे में भी अन्तर है। खंड १३(२) में कहा गया है:

"(२) जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत, खुदाई करने के पट्टे के अधीन अधिकार अर्जित किये जायेंगे वहां उस व्यक्ति को.....दिया जायेगा।"

इस विषय में, जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र ने उठाया है, वह उस उप-खण्ड के सम्बन्ध में है जिस में उस व्यय को बताया गया है जो किसी ऐसे वर्ष में जब कोयले का कोई उत्पादन न हुआ हो, किराया अथवा न्यूनतम रायल्टी देने में किया गया हो। इस मामले में यह याद रखना चाहिये कि रायल्टी अथवा किराये का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है। केन्द्रीय सरकार का सर्वदा यह विचार रहा है तथा यही हमारी नीति रही है कि हम कोई ऐसा निर्णय न करें जिस से राज्यों के राजस्व को कोई हानि हो। इसलिये इस धन को उगाहने के मामले में राज्यों के हितों का ध्यान रखने का प्रयत्न किया गया है। तथा इसीलिये हमने उस धन को राज्यों को देने की जिम्मेदारी ली है जो उन को मिलना चाहिये।

इस के पश्चात् उन्हों ने व्यय पर दिये जाने वाले सूद पर बड़ी आपत्ति उठाई। कल अथवा परसों ही माननीय वित्त मंत्री ने आय-व्ययक प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सूद की दरें जैसे बैंक की दर

तथा अल्प बचतों पर सूद की दर बढ़ाने की घोषणा की है। मेरे विचार से सूद का भुगतान समाजवादी ढंग के इतना विरुद्ध नहीं है जितना कि मेरे मित्र ने अपने तर्क में इसे बताने की कोशिश की है।

प्रतिकर के सिद्धान्तों की आलोचना उप-खण्ड (५) के बारे में भी की गई थी, और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया जैसे किसी कड़े सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है। धारा ९ के अधीन भूमि अर्जन के मामले में हम धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि को भूमि की बाजार भाव के अनुसार कीमत देने को तैयार हैं। परन्तु मेरे मित्र दो बातें बिल्कुल भूल गये हैं। एक यह है कि भूमि अर्जन के लिये बाजार भाव पर प्रतिकर के रूप में आम तौर पर दी जाने वाली १५ प्रतिशत राशि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि के अन्दर के खनिज पदार्थों, पर भूमि कर बाजार भाव तय करते समय विचार नहीं किया जायेगा। हम ने यह सोचा था कि इन दो उपबन्धों से अधिक प्रतिकर के भुगतान स सुरक्षा हो जायेगी।

मुझे खेद है कि मैं अपने दो माननीय मित्रों से, जिन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव भेजा है, सहमत नहीं हूं।

मैं चाहता था कि उन की बात मानूं तथा सामान्यतया मैं ऐसे प्रस्तावों का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि इस से हम सब को इन सब मामलों पर गंभीरतया विचार करने का समय मिल जाता है, और जो व्यक्ति विधेयक को पुनःस्थापित करता है उसे प्रवर समिति में हुई चर्चा से काफी लाभ मिल जाता है। परन्तु इस मामले में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमें समय का ध्यान रखना पड़ रहा है। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि पहले हमारा विचार एक अध्यादेश लागू कर के विधान बनाने का था। मेरे माननीय मित्र जिन्हों ने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रक्खा है, उन्हों ने मुझ से यह भी पूछा है कि एक वर्ष की अवधि में लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगभग कितनी प्रगति हो जायेगी। यह प्रश्न ठीक भी है; मैं इस का यह उत्तर देता हूं कि यह इस विधेयक के शीघ्रता से पारित होने पर आधारित है। अधिकांश कोयले वाले क्षेत्रों को या तो अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं अथवा खानों के पट्टे दिये जा चुके हैं तथा पट्टेदारों ने चाहे वो अनुज्ञप्तिधारी हों या पट्टेदार हों। कोयले की खोज करने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इन क्षेत्रों को हथियाने के अधिकार ले ले जिस से वह खानों का पता लगाने के बारे में कार्यवाही कर सके।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी कारण से प्रवर समिति को सौंपने के बजाय हमें इस विधेयक को यहीं पारित करना है। इस के अतिरिक्त विधेयक में निहित सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सभी सहमत हैं। इस विधेयक का ढांचा इस प्रकार का है कि जिसे सभा के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है जिस के लिये मैं उन का बड़ा आभारी हूं। जो प्रश्न उठाये गये वह सभी प्रतिकर के बारे में हैं जो कि सिद्धान्त के प्रश्न हैं वे सिद्धान्त ऐसे नहीं हैं जो विधेयक के प्रारूप पर आधारित हों। जैसा कि मेरा निवेदन है, यह निर्णय करते समय, हम ने बीच का रास्ता स्वीकार किया है जिस से उचित तथा ठीक प्रतिकर दिया जा सके।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस विधेयक को इतना समर्थन प्राप्त है उसे यथासंभव शीघ्रता से अधिनियमित कर दिया जाना जहिये। विधि बनने से पूर्व दूसरी सभा को भी इसे पारित करना है। इसीलिए समय बहुत कम है और इसीलिये मुझे इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है।

यदि कोई और बातें रही हों तो मैं उन का विधेयक पर खंडवार चर्चा के समय उत्तर दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के आर्थिक हित के निमित्त कोयला खान उद्योग तथा उस के विकास पर अधिक सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले तथा उस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कोयले के निक्षेपों वाली खाली पड़ी हुई भूमि के या ऐसी भूमि के जिससे कोयला मिलने की संभावना हो राज्य द्वारा अर्जन किये जाने तथा उस पर अधिकार करने और किसी भी समझौते पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार के करार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों में रूपभेद करने या उन्हें समाप्त करने की तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में संशोधनों पर मतदान होगा ।

निम्नलिखित संशोधन मतदान के लिये रखे गये :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
३३	श्री भरूचा	अभिभाषण में अनाज के अधिक मूल्यों तथा अनाज की कमी से उत्पन्न संकट स्थिति का कोई उल्लेख न होना तथा सरकार की देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता
२१	श्री डांगे	अभिभाषण में महाराष्ट्र की जनता की बम्बई नगर समेत महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग के बारे में कोई उल्लेख न होना ।
३०	श्री गोरे	अभिभाषण में गोआ के बारे में कोई उल्लेख न होना ।

संशोधन संख्या ३३ के पक्ष में ७९ तथा विपक्ष में २४६ मत पड़े । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या २१ के पक्ष में ६८ तथा विपक्ष में २२३ मत पड़े । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ३० के पक्ष में ७५ तथा विपक्ष में २३० मत पड़े । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया इसलिये उन पर मतदान की आवश्यकता नहीं है ।

अन्य संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उन के अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

† मूल अंग्रजी में

द्वितीय वेतन आयोग के नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्री वारियर** (त्रि ूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों और उन की सेवा की शर्तों के प्रश्न की जांच करने के लिये द्वितीय वेतन आयोग नियुक्त किया जाये, ताकि उन्हें देश के समाजवादी आदर्श के अनुरूप बनाया जा सके।"

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जानता हूं कि इसी प्रकार का प्रस्ताव जुलाई १९५५ में प्रस्तुत किया गया था कि भारत सरकार के अधीन सेवाओं में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन क्रम में बड़ा अन्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपा कर के बैठ जायें।

श्री हर गोविन्द पन्त का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अभी सूचना मिली है कि इस सभा के सदस्य पंडित हर गोविन्द पन्त की अभी विलिन्गडन अस्पताल में मृत्यु हो गई है। श्री पन्त उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले के रहने वाले थे। उन का जन्म १८८५ में हुआ था। वह एडवोकेट थे। वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य थे। और संविधान सभा के भी सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। वह अचानक कल बीमार हुए। उन को कुछ अन्तड़ियों का रोग था; डाक्टर अभी तक यह नहीं बता सके हैं कि वह रोग क्या था। भोजन विषाक्त हो गया था अथवा कोई और बात थी अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। उन के रसोइये तथा स्वयं उन पर उस भोजन का असर हुआ। रसोइया बच गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश उन की मृत्यु हो गई। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह एक मिनट तक मौन खड़े रहें।

सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारी प्रथा के अनुसार दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के हेतु सभा शेष दिन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात सभा सोमवार, २० मई, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ मई, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
तारांकित		३४७-६९
प्रश्न संख्या		
१०९	श्रीलंका में भारतीय	३४७-४९
११०	बेरोजगारी	३४९-५१
१११	आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार	३५१-५२
११२	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां	३५२-५४
११३	गांधी समाधि	३५४
११४	खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति	३५४-५५
११६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३५५-५६
११७	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	३५७-५८
११८	गोआ में भारतीय राजनैतिक कैदी	३५८-५९
११९	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के लिये व्यय	३५९-६०
१२०	नैपाल में कागज और सीमेंट का कारखाना	३६०-६१
१२३	सूडान व्यापार शिष्टमंडल	३६१-६२
१२४	अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति	३६२-६३
१२५	ट्रैक्टरों का आयात	३६३-६४
१२६	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३६४-६५
१२७	बर्रा ढिमा कोयला खान	३६५
१२९	बागान जांच आयोग	३६६
१३०	बालोपयोगी चलचित्र समिति	३६६-६७
१३१	राज्य-व्यापार	३६७-६८
१३२	हथकरघा उद्योग	३६८-६९
१३३	अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति	३६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३६९-७६
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११५	प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग	३६९-७०
१२२	चर्बी का आयात	३७०
१२८	साबुन का उत्पादन	३७०
१३४	चाय उद्योग	३७१
१३५	बंगलौर में गंदी बस्तियों की सफाई	३७१
१३६	छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग	३७१-७२
१३७	श्रमजीवी पत्रकारों का मजूरी बोर्ड	३७२
१३८	ब्रिटिश वस्त्र मिशन	३७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
५१	विस्थापित व्यक्तियों के सहायता और मार्गस्थ शिविर . .	३७२-७३
५२	गन्दी बस्तियों की सफाई	३७३
५३	भारत में पाकिस्तानियों का प्रवेश	३७४
५४	भारी मशीनों का निर्माण	३७४
५५	खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन . . .	३७४
५६	पंजाब में पंचायती रेडियो सेट	३७४
५७	पाकिस्तान को पार-पत्र	३७५
५८	पंजाब में बेरोजगारी	३७५
५९	निष्क्राम्य सम्पत्ति	३७५-७६
६०	मैसूर में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना . . .	३७६
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		३७७

निम्नलिखित नये सदस्यों ने शपथ ग्रहण की :—

(१) श्री हनुमन्त राव (२) श्री डिन्डोड तथा (३) श्री भदोरिया

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) २७ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३३७

(दो) २९ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३६३ ।

(२) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन भारतीय विमान नियम, १९३७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २० फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ए० आर० १९३७(२९) की व्याख्यात्मक टिप्पण सहित एक प्रति ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अधीन दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली ग्यारह अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अधीन छः पत्रों की एक एक प्रति ।

विषय	पृष्ठ
समितियों के निर्वाचन	३७९-८०
शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने लोक-सभा के सदस्यों में से निम्न संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव किया :	
(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	
(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	
(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट	
(चार) विश्व भारती की संसद् (कोर्ट)	
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	३८०-८३
सरदार हुक्म सिंह लोक-सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये।	
विधेयक पुरःस्थापित	३८३-८४
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	
अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया	३८४
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	३८४---९१,४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा समाप्त हुई। कुछ संशोधन अस्वीकार किये गये तथा कुछ वापिस लिये गये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विधेयक विचाराधीन	३९२-४०३
इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि कोयले के क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन	४०४-०५
श्री वारियर ने द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे मे संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४०५
अध्यक्ष महोदय ने श्री ह० गो० पन्त की मृत्यु का, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, उल्लेख किया उस के पश्चात् सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिये दो मिनट के लिये मौन खड़े रहे।	
सोमवार २० मई, १९५७ के लिए कार्यावलि	
कोयले के क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक पर और आगे चर्चा तथा करों के अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा।	